1847-886
6/3/2012

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक / बैठक / 2012 / 1802-III / 1847-1886 दिनांक :: 6 ~~फरवरी~~ मार्च, 2012

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री रतन लाहोटी, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 17 फरवरी, 2012 को प्रातः 11.30 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

प्रस्ताव संख्या 1 :: गत बैठक दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि।

कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनाक 22 दिसम्बर, 2011 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः गत बैठक दिनाक 22 दिसम्वर, 2011 का कार्यवाही विवरण अनुमोदनार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 का कार्यवाही विवरण अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 2 :: विकास कार्यों पर चर्चा एवं स्वीकृति

1– अतिरिक्त व अधिक कार्यो की पुष्टि :–

निम्नलिखित विकास कार्यों में शेड्यूल ऑफ पॉवर (Schedule of Power) के अनुसार अतिरिक्त व अधिक कार्यो की मात्रा 50 प्रतिशत से अधिक होने पर इसकी समक्ष स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

1.(1) राजकीय महाविद्यालय परिसर मे विभिन्न निर्माण कार्य :–

उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति दिनांक 28 मई, 2010 को 8.00 लाख रूपये की जारी की गई। कार्यादेश राशि 6.16 लाख रूपये है मौके पर माननीय मुख्यमत्री महोदय द्वारा इस महाविद्यालय के पास खेलगांव विकसित करने के निर्देश प्रदान किये गये। इसी कम मे महाविद्यालय मे आवश्यक कार्य करवाये गये है। इस कारण इस कार्य पर 0.39 लाख की अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति तथा 2,73,048/– की अधिक कार्य की स्वीकृति तथा 1,57,073/– की अतिरिक्त कार्य की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में उपरोक्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण शिड्यूल ऑफ पॉवर के अनुसार निदेशक–अभियांत्रिक की अधिकारिता का ही है। अतः भविष्य मे शिड्यूल ऑफ पॉवर के अनुसार ही कार्यकारी समिति की अधिकारिता के प्रकरण ही समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावे।

1.(2) विभिन्न स्थानो पर तारबंदी का कार्य (जोन–दक्षिण) –

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी खसरा नं. 269 मुख्य पाली रोड मे तार बंदी कार्य करवाये जाने के लिए सचिव महोदय एवं उपायुक्त–दक्षिण के निर्देशो की पालना मे कार्य प्रारम्भ करवाया गया।

चूंकि कार्यस्थल पर उक्त खसरे मे ग्रामीणों द्वारा कच्चे पक्के, निर्माण का अतिक्रमण किया हुआ था। अतिक्रमण हटाकर तारबंदी कार्य करवाना अति आवश्यक था। उक्त परिस्थितियों के कारण अधिक कार्य रूपये 2,04,836/– व अतिरिक्त कार्य रूपये 3,519/– का करवाया गया। कार्य दिनांक 25.04.2011. को समाप्त हुआ ।

अधिक कार्य **रूपये 2,04,836/–** व अतिरिक्त **कार्य** रूपये **3,519/–** तथा **दिनांक** 25.04.2011 तक समय वृद्धि स्वीकृति हेतु **प्रकरण प्रस्तुत** किया जाता है । कार्य प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति रूपये 4.00 लाख के **अन्तर्गत** है। उक्त प्रकरण मे गठित कमेटी (अधिशाषी अभियन्ता, अधीक्षण **अभियंता व** उपायुक्त **दक्षिण)** द्वारा स्वीकृति **दी** जा चुकी है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार **विमर्श** सर्व सम्मति **से प्रकरण** में उपरोक्त प्रस्तावानुसार **स्वीकृति** प्रदान करने **का** निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी **निर्णय** लिया गया कि **उक्त** प्रकरण **शिड्यूल ऑफ** पॉवर **के अनुसार** निदेशक–**अभियांत्रिक** की अधिकारिता का ही है। अतः भविष्य मे **शिड्यूल** ऑफ पॉवर के **अनुसार** ही कार्यकारी **समिति** की अधिकारिता के प्रकरण ही समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जावे।

1.(3) विभिन्न स्थानो पर सिविल रिपेयर कार्य (वार्षिक अनुबंध पर) (जोन–दक्षिण)–

मौके स्थिति **कार्य** की प्रकृति एवं **शहर** विधायक **श्री** कैलाश भंसाली एवं **जनप्रतिनिधियों** की विशेष **मांग** के अनुरूप विशेष विकास कार्य (इण्टरलॉकिंग टाईल्स व चेकर्ड टाईल्स के **फुटपाथ** आदि) करवाया गया। अधिक कार्य **रूपये** 10,28,514/– व **अतिरिक्त** कार्य **रूपये** 3,49,990/– विधायक महोदय की मांग के अनुरूप कार्य करवाये जाने के कारण हुआ, जिसकी स्वीकृति श्रीमान् आयुक्त महोदय से दिनांक 17.06.2010 को प्राप्त **कर ली** गई थी ।

उक्त कार्य मूल **प्रशासनिक** एवं वितिय स्वीकृति रूपये 25.00 लाख के अंदर ही करवाया गया है। उक्त प्रकरण मे गठित **कमेटी (अधिशाषी अभियन्ता,** अधीक्षण अभियंता व **उपायुक्त दक्षिण**) द्वारा स्वीकृति दी जा चुकी है। अतः **प्रकरण** कार्यकारी **समिति** के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श **सर्व सम्मति से** प्रकरण मे **उपरोक्त** प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान **करने** का निर्णय लिया गया।

1.(4) जोन पूर्व मे विभिन्न सड़को पर पेच रिपेयर का कार्य –

वित्तिय एवं प्रशासनिक स्वीकृति **रूपये** 10.00 **लाख रूपये श्रीमान्** आयुक्त महोदय से अनुमोदित है। कार्यादेश रूपये 850017.00 का **मैसर्स** बी.आर.सी **ट्रेडिंग कम्पनी** को अनुबंध सख्या एफ 38 (12) 11–12 के अनुसार **दिया** गया है कार्य का अन्तिम **बिल** रूपये 1,29,970/– का हैं। इस **कार्य में अतिरिक्त** स्वीकृति रूपये 1,29,970/– है। अतः सशोधित वित्तिय एव प्रशासनिक स्वीकृति **रूपये** 11,29,970/– लाख **अनुमोदन** हेतु **प्रस्तुत** है **तथा** इस कार्य मे अधिक आईटम रूपये 4,66,538.15/– है। जो कि 54.88 प्रतिशत है। एस.ओ.पी के अनुसार 50 **प्रतिशत** से अधिक होने के कारण अधिक कार्य

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

स्वीकृती एवं संशोधित तकमीना स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति में प्रस्तुत है। हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में उपरोक्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

1.(5) सरदार संमद मार्ग से ममता नगर तक सड़क निर्माण कार्य –

इस कार्य की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति 16.00 लाख रू. है। इस कार्य की निविदा दिनांक 25.10.11 को प्राप्त की गई। जिसमें न्यूनतम दरदाता मैसर्स जे.आर.सी.क. नेगोशियेशन 7.00 प्रतिशत एबाऊ समिति से स्वीकृत पश्चात् रूपये 16,32,703/– का कार्यदेश राशि बनती हैं। अतः अतिरिक्त स्वीकृति 32,703/– रू. एवं निविदा प्राप्ति को 90 दिन से अधिक होने के कारण प्रकरण कार्यकारी समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में उपरोक्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

1.(6) महादेव कॉलोनी में डामरीकरण का कार्य –

इस कार्य की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति 28.82 लाख रू. है। इस कार्य की निविदा दिनांक 25.10.11 को प्राप्त की गई। जिसमें न्यूनतम दरदाता मैसर्स महादेव इन्टरप्राईजेज का नेगोशियशन् 7.00प्रतिशत एबाऊ समिति से स्वीकृत पश्चात् रूपये 29,50,367/– का कार्यदेश राशि बनती हैं। अतः अतिरिक्त स्वीकृति 68,367/– रू. एवं निविदा प्राप्ति को 90 दिन से अधिक होने के कारण प्रकरण कार्यकारी समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में उपरोक्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

1.(7) गॉव कुडी भगतासनी पाली रोड गॉव में सी.सी. सडक का निर्माण कार्य।

इस कार्य की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति 41.00 लाख रू. है। इस कार्ट की निविदा दिनांक 02.11.11 को प्राप्त की गई। जिसमें न्यूनतम दरदाता मैसर्स महादेव इन्टरप्राईजेज की दर 5.77 प्रतिशत बीलो है। समिति से स्वीकृत पश्चात् रूपये 96,63,041/– का कार्यदेश राशि बनती है। पूर्व में निर्देशानुसार विकास कार्यो के कार्यदेश राके गये थे। अब स्थानीय निवासीयो एवं जनप्रतिनिधियो की मांग पर पूनः निर्देशानुसार प्रकरण कार्यादेश जारी करने हेतु प्रस्तुत है। अतः निविदा प्राप्ति के 90 दिन से अधिक होने के कारण प्रकरण कार्यकारी समिति में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में उपरोक्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

1.(8) गौशाला मैदान में छात्रावास के द्वितीय तल पर तामीर कार्य। (कमरो का निर्माण कार्य) –

गौशाला मैदान मे निर्मित स्पौस छात्रावास के भू–तल एवं प्रथम तल पर वर्तमान में राष्ट्रीय फैशन टैक्नालॉजी सस्थान (NIFT) के Girls Hostal of NIFT के रूप मे उपयोग लिया जा रहा है। छात्राओ की बढती संख्याओ को देखते हुये Director NIFT

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

द्वारा द्वितीय तल पर निर्माण का प्रस्ताव दिया। वितीय संसाधनों के अनुसार एक हॉल का निर्माण छोडते हुये जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार प्रक्रिया के तहत मैसर्स रऊफ खान को अनुबंध संख्या एफ 38/2/11–12 के अनुसार रू. 22,99,755.00/– का कार्यादेश देकर कार्य शुरू किया गया। जिसकी वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रू. 23.00 लाख है।

निर्माण कार्य के दौरान समय–समय पर उच्च अधिकारियों के निरीक्षण के समय निर्देश दिये गये। पूर्व में छोड़े गये एक हॉल का निर्माण आर.सी.सी. कार्य एक साथ करवाया जाना तकनीकी दृष्टि से सही होने के कारण इस हेतु रू. 3.00 लाख की अतिरिक्त स्वीकृति जारी की गयी। इस प्रकार संशोधित स्वीकृति रू. (23.00+3.00) 26.00 लाख हुई।

Director NIFT के पत्र दिनांक 17.01.2012 के अनुसार प्रथम तल पर टॉयलेट ब्लाक में सेनेट्री लिकेज के कारण भू–तल पर काफी जगह सीलन आ गयी है साथ ही पानी, विधुत लाईन मे भी लिकेज के कारण करण्ट आने की सम्भावना रहती है। अतः इस कार्य को वर्तमान में द्वितीय तल पर चल रहे निर्माण के साथ ही पूरी सेनेट्री लाईन व अन्य सरंचना में आई खराबी को तुरन्त ठीक कराने का निवेदन किया है। साथ ही मौका निरीक्षण के द्वारा द्वितीय तल पर बने बडे हॉल में एल्यूमियम पार्टिशन लगाकर छात्राओं को सुविधा दी जा सके तथा अन्य मौके अनुसार आवश्यक कार्य करवाने का निवेदन किया है।

इस तीन मंजिल बनी छात्रावास (NIFT) का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शीघ्र किया जाना प्रस्तावित है। इस संदर्भ में माननीय अध्यक्ष महोदय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एव जिलाधीश महोदय, जोधपुर ने सभी कार्य शीघ्र पूरे करने निर्देश दिये है। इस कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए निम्न कार्य करवाये जाने के निर्देश दिये है।

- प्रथम तल पर टॉयलेट ब्लाक लिकेज होने के कारण इसको तोड कर पुनः सेनेट्री फिटिग, टाईलस, फर्श व दरवाजे आदि का कार्य।
- द्वितीय तल पर बडे हॉल मे एल्यूमियम पार्टसन करके कमरे बनाना।
- भू–तल पर सीवर लाईन व मैन हॉल निर्माण तथा साईड गली में पक्का सीमेंट फर्श बनाना।
- लिकेज के कारण छत व दीवारो पर भवन में पुनः रंग–रोगन का कार्य।

उपरोक्त कार्यो को इसी कार्य के साथ करवाने में संशोधित तकमीना रू. 38.50 लाख का बनाया गया। अतः इस कार्य की संशोधित वितीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति रू. 38.50 लाख की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है। इसके साथ ही अधिक/अतिरिक्त कार्य स्वीकृति व संशोधित तकमीना स्वीकृति प्रकरण कार्यकारी समिति में प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में उपरोक्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

1.(9) राजकीय डिस्पेन्सरी चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड के सेक्टर 15 में भवन विस्तार कार्य –

उपरोक्त कार्य विधायक महोदय कि अनुशंषा पर जिला परिषद द्वारा कार्य कि प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति 2.00 लाख से 5.00 लाख तद्उपरान्त 5.00 लाख से 10.00 लाख रू. करने के कारण अधिक/अतिरिक्त कार्य हुए। कार्य कि कुल प्रशासनिक

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

एवं वित्तिय – रू. 10.00 लाख है। अधिक कार्य – रू.1,12,177.78, अतिरिक्त कार्य – रू. 6,95,420.50 हुआ है। उक्त कार्य दिनांक 08.01.2010 के स्थान पर दिनांक 15.12.2011 को पूर्ण हुआ है। अतः प्रकरण अतिरिक्त/अधिक कार्य व समयावधि बढाने की स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति में प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त कार्य का कार्यादेश 1.77 लाख का ही प्रारम्भ में दिया गया था और कुल कार्य 16.00 लाख रूपये से अधिक का हुआ है। अतः प्रकरण में निदेशक–वित्त, अधीक्षण अभियन्ता, श्री राकेश शर्मा अधिशाषी अभियन्ता, श्री आलोक मालवीय, अधिशाषी अभियन्ता की एक समिति गठित करने का निर्णय लिया। जो समिति उक्त कार्य की परिस्थितियों द्वारा नियमों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपनी रिपोर्ट निर्णय हेतु सचिव के मार्फत आगामी बैठक में प्रकरण को प्रस्तुत करेगी।

2– नवीन विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तिय स्वीकृति का अनुमोदन –

2.(1) ई–2 जोन में सीवर लाईन का कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत्।

जोधपुर शहर के शेष बचे क्षेत्र एवं नये विकसित क्षेत्र में सीवर लाईन की कार्य की परियोजना तैयार की गई। परियोजना मैसर्स एन. के. बिल्डकॉन द्वारा की गई जिसमें जोधपुर शहर को विभिन्न जोन के अन्तर्गत बांटा गया है। ई–2 जोन में सीवर लाईन बिछाने का कुल खर्च 34.85 करोड आएगा। ई–2 जोन के अन्तर्गत वार्ड नं. 57 की निम्न बस्तियॉं सम्मिलित है

1	आशापूर्णा नगर	2	शिव मंदिर
3	डिगाडी	4	कन्हैया नगर
5	लक्ष्मण नगर	6	लिले विहार कॉलोनी
7	शरदी नगर	8	लक्ष्मण नगर सेक्टर सी
9	विष्णु कॉलोनी सारण नगर सेक्टर सी	10	प्रेम विहार कॉलोनी डिगाड़ी
11	न्यू लिले विहार कॉलोनी	12	श्री भोमिया जी नगर
13	योगमाया मंदिर लक्ष्मण नगर बी	14	सर्वोदय नगर
15	शिव विहार	16	रूप नगर डिगाड़ी
17	विष्णु नगर डिगाड़ी	18	अम्बेडकर कॉलोनी
19	आहुजा कॉलोनी	20	उचियारा बेरा

उपरोक्त कार्य का आकलन आर.यू.आई.डी.पी. की बी.एस.आर. 2008 से किया हुआ है। 20 प्रतिशत अधिक व्यय मानते हुऐ कार्य की लागत लगभग 41.42 करोड़ हो जावेगी। क्योंकि न्यू विकसित क्षेत्र है अतः 60 प्रतिशत धनी आबादी क्षेत्र मानते हुए वार्ड नं 57 में कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है। अतः इस कार्य की लागत 24.09 करोड़ आएगी। अध्यक्ष महोदय जी ने इस क्षेत्र में सीवर लाईन डालने के निर्देश दिये गये है। जिसकी अनुपालना मे निविदा आमंत्रित की जा चुकी है। अतः कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 24.09 को वांछनीय है तथा प्रकरण सक्षम स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में उपरोक्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

3— शेड्यूल आफ पॉवर के अनुसार निविदा खोलने के 90 दिवस के अंतर्गत कार्यादेश दिया जाना आवश्यक है, विलम्ब से कार्यादेश दिये जाने की पुष्टि हेतु प्रस्ताव कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है —

क्र. सं	कार्य का नाम	फर्म का नाम	निविदा सं. व कार्यादेश का विवरण	विशेष विवरण
1	रिक्तियां भैरूजी चौराहा से 12 वी रोड चौराहा (गौरव—पथ) की मरम्मत का कार्य	मैसर्स आयशा कन्सट्रक्शन	निविदा संख्या : 32 आईटम संख्या — 3 वर्ष 2011—2012	निविदा दिनांक 18.10.11 को खोली गई थी परन्तु प्राधिकरण की वितिय स्वीकृति ठीक नही होने के कारण 90 दिन की अवधि मे कार्यादेश जारी नही किये जा सके। चूंकि कार्य आवश्यक प्रकृति का होने के कारण आयुक्त महोदय ने दिनांक 25.01.2012 को कार्यादेश जारी करने की स्वीकृति प्रदान की। अतः कार्यकारी समिति के अनुमोदन की अपेक्षा मे दिनांक 01.02.2012 को कार्यादेश जारी किया गया है। अतः प्रकरण समिति के समक्ष पुश्टि हेतु प्रस्तुत है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में उपरोक्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

4— **संशोधित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की पुष्टि :—**

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	अतिरिक्त प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखो में)	कुल संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (लाखों में)	विशेष विवरण एवं की गई कार्यवाही का विवरण
1	दक्षिण जोन सरदारपुरा क्षेत्र मे पेच रिपेयर का कार्य	3.24	0.70	3.94	दक्षिण जोन सरदारपुरा क्षेत्र में पेच रिपेयर के कार्य की प्रशासनिक एव वितिय स्वीकृति 3.24 लाख है जबकि मैसर्स सालावास कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा 'जी' सारणी से 28 प्रतिशत अधिक दर होने के कारण कार्यादेश राशि रूपये 394042/— है अतः प्रशासनिक स्वीकृति से 70,042/— अतिरिक्त व कुल सशोधित स्वीकृति हेतु कार्यादेश रू. 394042/— स्वीकृति करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।
2	रोटरी चौराहे से न्यू पॉवर हाउस तक मुख्य सडक पर पेच रिपेयर का कार्य	2.07	0.19	2.26	परियोजना—तृतीय जोन मे रोटरी चौराहे से न्यू पॉवर हाउस तक मुख्य सडक पर पेच रिपेयर के कार्य की प्रशासनिक एव वितिय स्वीकृति 2.07 लाख है जबकि मैसर्स सालावास कन्सट्रक्शन कम्पनी द्वारा 'जी' सारणी से 14 प्रतिशत अधिक दर होने के कारण कार्यादेश राशि 2,25,891/— रूपये है

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

					अतः प्रशासनिक स्वीकृति से 18,891/- की अतिरिक्त व कुल संशोधित स्वीकृति हेतु कार्यादेश रू. 225891/-स्वीकृति करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।
3	बासनी ओवर ब्रिज से पाल रोड तक पेच रिपेयर का कार्य	8.75	0.82	9.18	परियोजना-चतुर्थ जोन मे बासनी ओवर ब्रिज से पाल रोड तक पेच रिपेयर के कार्य की प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति 8.75 लाख है जबकि मैसर्स फैयाज बेग चांद कम्पनी द्वारा 'जी' सारणी से 9.75 प्रतिशत अधिक दर होने के कारण कार्यादेश राशि 9,18,377/- रूपये है अतः प्रशासनिक स्वीकृति से 81,587/- की अतिरिक्त व कुल संशोधित स्वीकृति हेतु कार्यादेश रू. 918377/- स्वीकृति करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।
4	यूआईडीएसएसएमटी योजना मे सीवर लाईन का कार्य	2696.00	533.00	3229.00	राज्य सरकार द्वारा यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना के अन्तर्गत सीवर लाईन व्यवस्था एवं घरों के कनेक्शन एवं एस.टी.पी. हेतु 61.17 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की हुई है। जिसमे सीवर लाईन के कार्य की स्वीकृति 26.91 करोड़ रूपये की है। पूर्व मे यह कार्य आर.यू.आई.डी.पी. द्वारा किया गया। चूंकि यह कार्य सितम्बर 2009 के बाद राज्य सरकार के आदेशानुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है। इसके तहत 125 किलो मीटर सीवर लाईन का कार्य किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा विभिन्न क्षेत्रो मे मौका निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों के तहत पाल जोन हरीजन बस्ती पटानकोट सीवर लाईन लगाने, विष्णु कॉलोनी, लूणसिंह देवड़ा फार्म हाउस के पास की कॉलोनी के पास मे आउटफॉल सीवर लाईन उपलब्ध होने के कारण चल रहे कार्यो के साथ उपरोक्त कॉलोनियो मे सीवर लाईन डालने के लिए अध्यक्ष महोदय जी ने निर्देश दिये। मदरासिया जोन के अन्तर्गत अतिरिक्त सीवर लाईन डालने के निर्देश दिये गये एवं मकानों का घनत्व अधिक होने से, घरेलू कनेक्शन की संख्या मे बढ़ोतरी एवं प्राइस एक्सकेलेशन आदि कारणों से इस कार्य की लागत बढ़ रही है। अनुबंध अनुसार संवेदक 20 प्रतिशत सीमा तक अधिक कार्य करने के लिये बाध्य तथा करने को तैयार है। अध्यक्ष महोदय के निर्देशों की पालना मे इन क्षेत्रो मे सीवर लाईन का कार्य करवाने के लिए रूपये 5.38 करोड़, जो 20 प्रतिशत सीमा मे है, कि स्वीकृति वांछनीय है तथा संशोधित कुल प्रशासनिक एवं वित्तीय राशि 26.91 + 5.38 = 32.29 करोड़ की स्वीकृति हेतु

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

					प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्रकरण संख्या 1 से 3 तक स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया तथा प्रकरण संख्या 4 के संबंध में निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण के सबंध में निदेशक–वित्त, श्री महेशचन्द्र शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम, जोधपुर एवं अधिशाषी अभियन्ता–सिविर प्राधिकरण, श्री जी.पी.एस. चौहान, सहायक अभियन्ता की समिति बनायी जावे और संवेदक फर्म को दिये गये कार्यादेश और उनके द्वारा किये गये कार्य और अधिक/अतिरिक्त कार्य पर निर्णय एवं कार्य व अन्य संबंधित पहलूओं पर विस्तृत जांच कर रिपोर्ट आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत करेगी।

5– **भदवासिया आर.ओ.बी. के राष्ट्रीय राज्य मार्ग 65 के भाग पर फाउण्डेशन कार्य चालू होने के कारण भारी वाहनों के आवागमन रोकने के क्रम में।**

उक्त आर.ओ.बी. के राष्ट्रीय राज्य मार्ग–65 के भाग पर फाउण्डेशन कार्य चालू करने के लिए पावटा सर्किल से मंडी सर्किल तक भारी वाहन यातायात को रोकना आवश्यक होने की स्थिति में, उक्त यातायात को नागौरी बाईपास से प्रस्तावित किया गया है उक्त बाईपास के ग्राम आगणवा में लगभग 500 मीटर की लम्बाई क्षतिग्रस्त होने के कारण उप–पुलिस अधीक्षक (यातायात) द्वारा मरम्मत कराने के पश्चात् ही यातायात बन्द करना प्रस्तावित किया गया। जिसकी अनुमानित लागत लगभग 15.50 लाख है।

वर्तमान म भदवासिया सड़क पर मैसर्स छगनीराम गहलोत द्वारा कार्य किया जा रहा है, जो कि 2.71 प्रतिशत अधिक दर पर है एवम् आर.ओ.बी का कार्य 23 प्रतिशत अधिक दर पर है।

अतः उक्त मरम्मत कार्य इसी अनुबन्ध में कराने की स्वीकृति हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में उपरोक्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

6– **Supply of Recron 3s (a secondary reinforcement) material.**

Construction of RoB at LC No. C-7 (Bhadwasia RoB) is in progress. Presently the E/W activity for foundations is being done at site. As per approved GAD. the bridge bears 18 piers. These are of mass concrete of high strength (M 35 grade) works. Looking to seasonal variations the mass concrete faces a general probability of development of Shrinkage induced crakes & Micro cracks. The Recron 3s (A Reliance Industries Limited product) is of Polyester fibrous a secondary nature material triangular in shape, which helps/adds to improve various physical properties of the concrete. PWD is also using this material for the construction of CC roads. (Copy of the NIT is enclosed for ready reference.) The RoBs are of long-life structures, & the major work is Structural work in Mass concrete i.e these are major concrete work. It is proposed to use the product in concrete work .

Presently, the E/W for foundation for Abutment (A1) on National Highway 65 is in progress. As per approved Design, the Qty of foundation concrete is about 150 Cum (11.60mx7.20mx1.8m). This is a huge quantity. As per guidelines of manufacturer, the proposed/ recommended Dosage rate is 900

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

gms per cum of concrete. As such the quantity required for one foundation is about 135 Kg. As per information collected from market, expected cost of the product is about Rs. 380/- per kg, i.e. the cost for one foundation is about Rs. 51300/- only. As per approved GAD, NH-65 side has got SIX piers. Thus the amount required for Six foundation's is about 3.08 lacs only, and around same amount shall be for the piers & Pier caps. Thus it is requested to kindly consider issuing an A&F for Rs. 6.50 lacs for the purchase/supply from authorised dealers/Distributor's (not more than 4 months old) of Recron 3s as a secondary reinforcing material for NH 65 side of RoB.

बैठक में बाद विचार विमर्श अधिशाषी अभियन्ता श्री राकेश शर्मा को निर्देश दिये कि वे एम.बी.एम. इजिनियरिंग कॉलेज की प्रयोगशाला से दोनों प्रकार की सामग्री अर्थात् एम 35 प्लस रिकार्न एवं केवल एम 35 रिकार्न की स्ट्रैंथ का तुलनात्मक विश्लेषण कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करें ताकि आवश्यकतानुसार ही उक्त आईटम के कय करने या नहीं करने के संबंध में निर्णय लिया जा सके।

7— भदवासिया रेलवे फाटक सी—7 पर चार लेन आर.ओ.बी. का निर्माण

प्रशासनिक स्वीकृति	3500 लाख		
कार्य आदेश राशि	2744 लाख		
विशेष विवरण			
PART-(A) : BRIDGE PORTION	132899534	132899534	0
PART (B) : APPROACHES	16680490.49	16680490.49	0
PART (C) : ROAD WORK	26155435	29063404	2907969
PART (D) : BUILDING WORK	5920444	26417702	20497258
PART (E) : ELECTRIC WORK	11142546	11856229	713683
TOTAL PART (A+B+C+D+E) :	192798449.5	216917359.5	24118910
Add T.P. 23.21% Above	44748520	50346519.13	5597999.131
Total Part-G	237546970	267263878.6	29716908.59
PART (F) : 'H' SCHEDULE	36887712	36887712	0
Grand Total :	274434682	304151590.6	29716908.59
Say Rs. (Cr.)	27.44	30.41	2.97
Percentage Excess (On Account of Additional Building works)		10.82%	

प्रस्तावित आर ओ बी के निर्माण क्षेत्र में नेशनल हाइवे पर 32 कियोस्क हटाने, साईकिल ट्रस्ट की 10 दुकानें व मन्दिर, मस्जिद के पास हैण्डपम्प को मस्जिद क्षेत्र में शिफट करने, मस्जिद के अधिग्रहित क्षेत्र के स्थान पर प्रस्तावित नया निर्माण, रोडवेज डिपो में दो वर्कशाप शेड, दो चौकीदार रूम, आफिस बिल्डिंग, दो जनरेटर रूम, दो गेट,रोडवेज डिपो एवं कृषि उपज मंडी की बाउन्ड्री वाल, नाला, भदवासिया सडक पर स्थित 24 दुकानो, आदि के अधिग्रहण कर पुर्ननिर्माण के कारण सडक, बिल्डिंग, बिजली वर्क, अधिक होना प्रस्तावित हैं। पूर्व प्रस्तावित तखमीने में मात्र 36 दुकानों के निर्माण का ही प्रोवीजन लिया गया है, एवं शेष कार्य जैसे रोडवेज डिपो में दो नये शेड्स, दो चौकीदार रूम, बाउन्ड्री वाल, गेट को शिफ्ट करना, अधिग्रहित कार्यालय बिल्डिंग के नव निर्माण एवं मस्जिद से सम्बन्धित आदि अधिक कार्य के कारण पार्ट सी, डी, एवं ई में

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

अधिक कार्य लगभग रू. 13937619/– एवं अतिरिक्त कार्य लगभग रू 15779291६ का होना सम्भावित है। वर्तमान में उक्त आधिक्य एवं अतिरिक्त कार्य राशि कार्यादेश राशि के लगभग 11 प्रतिशत अधिक है, साथ ही लेख है कि मुख्य पुल कार्य पार्ट ए एवं बी के लिए भी 15 प्रतिशत अधिक कार्य होने की सम्भावना है । उक्त अधिक व अतिरिक्त राशि की स्वीकृति के पश्चात भी कार्य प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति की सीमा में ही है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

प्रकरण में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्तुत उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 3 :: भूखण्ड संख्या 44 सेक्टर 4 रामराज नगर की अधिक क्षेत्रफल की राशि जमा करवाने बाबत।

प्रार्थी श्री लालाराम जैलिया ने प्रार्थना पत्र पेश कर भूखण्ड की लीजडीड की मांग की है। श्री लालाराम जैलिया को दिनांक 25 जुलाई, 2008 को भूखण्ड संख्या 568 नाप 39'X69' = 250 वर्ग मीटर का आवंटन किया गया था। जिसकी लीजडीड दिनांक 27 जुलाई, 2009 को जारी की गई। आवंटित भूखण्ड पर अतिक्रमण होने से जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 13 अप्रेल, 2010 के प्रस्ताव संख्या 4(3) के निर्णयानुसार दिनांक 14 अक्टूबर, 2010 को समकक्ष वैकल्पिक भूखण्ड संख्या 44 सेक्टर 4 रामराज नगर में 34' X 69' = 217.94 वर्ग मीटर आवंटन किया गया। भूखण्ड की लीजडीड जारी करने से पूर्व भूखण्ड की मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। कार्नर का होने के कारण नाप 43'4" 76'6" /2 X 69'76'6" /2 यानी 404.93 वर्ग मीटर हो गया। इस प्रकार भूखण्ड का क्षेत्रफल 404.93-250 = 150.93 वर्ग मीटर बढ गया। अधिक क्षेत्रफल की राशि वसुल करने हेतू उप नगर नियोजक से टिप्पणी प्राप्त की गई थी। पत्रावली के पैरा 40 में उप नगर नियोजक ने अधिक क्षेत्रफल की राशि वसुल करने का हेतू टिप्पणी पेश की है। भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 23 के अनुसार 100 वर्ग से अधिक क्षेत्रफल को स्ट्रीप का भाग नही माना जा सकता। 100 वर्ग गज से अधिक के नियमन हेतू प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ पेश हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि यह भूखण्ड कॉर्नर भूखण्ड है इसलिए इस नीलामी से विकय किया जावे तथा इसके बदले में अन्य भूखण्ड उसी ब्लॉक में जो कॉर्नर भूखण्ड नहीं हो, आवंटित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 4 :: भूखण्ड संख्या ई–192 राजीव गांधी नगर योजना की अधिक क्षेत्रफल की राशि जमा करवाने के संबंध में।

श्री विष्णु चद गायल पुत्र श्री प्यारे लाल गोयल को प्राधिकरण की राजीव गाधी नगर योजना में दिनांक 15 फरवरी, 2010 को भूखण्ड संख्या ई–192 क्षेत्रफल 252 वर्ग मीटर का आवटन किया गया था। भूखण्ड का आवंटन पत्र दिनांक 5 अप्रेल, 2010 को जारी है। प्रारूप शाखा से साईट प्लान प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि श्री विष्णु चन्द गोयल पुत्र श्री प्यारे लाल गोयल को आवंटित भूखण्ड संख्या ई–192 राजीव गांधी नगर कोर्नर का है। एव भूखण्ड का क्षेत्रफल 341.77 वर्ग मीटर है। भूखण्ड का क्षेत्रफल 341.77 – 252 = 89.77 वर्ग मीटर यानि 105.37 वर्ग गज अधिक हो गया। नगरीय भूमि का निस्तारण नियम 1974 के नियम 23 के अनुसार आवंटी को 100 वर्ग गज से अधिक की भूमि का नियमन नही किया जा सकता। प्रकरण में निदेशक–आयोजना से अधिक क्षेत्रफल की राशि नियमानुसार वसूलने के लिए टिप्पणी चाही गई थी। निदेशक आयोजना की प्राप्त टिप्पणी अनुसार स्वतंत्र भूखण्ड सृजित करने पर न्यूनतम सेटबैक छोड़े जाने के पश्चात् आवश्यक निर्मित क्षेत्रफल उपलब्ध नही होता है। जिसका स्केच भी

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

पत्रावली के पृष्ठ संख्या 23 पर भी उपलब्ध है। प्रकरण में अधिक क्षेत्रफल की राशि वसूल की जानी है। दिनांक 14 फरवरी, 2012 को आवेदक द्वारा आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि उसके भूखण्ड के पास कोई अतिरिक्त भूमि नहीं है। इस पर कनिष्ठ अभियन्ता की रिपोर्ट प्राप्त की जो पत्रावली के पैरा संख्या 63/एन पर उपलब्ध है। अतः इस संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि चूंकि यह भूखण्ड कॉर्नर भूखण्ड है इसलिए इसे नीलामी से विक्रय किया जावे तथा इसके बदले में अन्य भूखण्ड उसी ब्लॉक में जो कॉर्नर भूखण्ड नहीं हो, आवंटित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 5 :: भूखण्ड संख्या 56 सेक्टर 'आई' पूर्वी पाल रोड़ के संबंध में।

भूखण्ड सख्या 225 सेक्टर 'डी' पूर्वी पाल रोड़ जोधपुर का दिनांक 4 अगस्त, 1989 को आंवटन द्वारा श्री महेन्द्र कुमार पुत्र श्री तख्त राज को 10.5X19 मी. का दिया गया। उक्त आवटित भूखण्ड की कीमत राशि रूपये 5000/– एवं सं. 2683.00 चालान नं. 2622 दिनाक 18 सितम्बर, 1989 को जमा करवाये गये। भूखण्ड की कीमत राशि जमा होने पर दिनांक 7 सितम्बर, 1991 को लाईसेंस जारी किया गया। उक्त योजना क्षेत्र में खसरा विवाद होने एवं खातेदारों द्वारा मौके पर खेती करने का कारण आवंटी को भूखण्ड का कब्जा नहीं दिया जा सका। खसरा विवाद होने के कारण इसी योजना में प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13 अप्रेल, 2010 की पालना में दिनांक 14 अक्टूबर, 2010 को सेक्टर 'आई' में भूखण्ड संख्या 56 आवंटन किया गया जो कोनर भूखण्ड है परन्तु उक्त लॉटरी मे गलत पर्चे निकलने के कारण भूखण्ड का क्षैत्र 12'X27' का भूखण्ड आवंटन हो गया जो पूर्व मे आवटित भूखण्ड से बडा क्षैत्रफल है। इस प्रकार भूखण्ड का क्षैत्रफल 124.5 वर्ग मीटर अधिक हो गया। उक्त आवंटन का प्राधिकरण की बैठक दिनांक 21 अक्टूबर, 2010 को अनुमोदन किया गया। उक्त योजना क्षैत्र मे समान क्षेत्रफल का भूखण्ड दिया जाना है अथवा अधिक क्षैत्रफल की राशि वसूल किये जाने के संबंध में निर्णयार्थ कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि इसी योजना क्षेत्र में कॉर्नर के अलावा अन्य भूखण्ड समान क्षेत्रफल का आवंटित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 6 :: भू–उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों के संबंध में।

प्रस्ताव संख्या 6 (1) :: श्रीमती सुषमा गर्ग पत्नि श्री विरेन्द्र कुमार गर्ग द्वारा ग्राम नान्दडी के खसरा संख्या 79 की 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवासीय से होटल (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। (प्रकरण संख्या 27/2010)

श्रीमती सुषमा गर्ग पत्नि श्री विरेन्द्र कुमार गर्ग द्वारा ग्राम नान्दडी के खसरा सख्या 79 की 6 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवासीय से होटल (वाणिज्यिक) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की अधिकारिता का होने से राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को प्रकरण प्रेषित किया गया।

आवेदित भूमि वर्तमान में आर.टी.ओ. ऑफिस के पास प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज की जीएडी के अन्तर्गत आरओबी, क्लोवर लीफ तथा सम्पर्क सडकों के निर्माण में आने की संभावना है। प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनाक 22 दिसम्बर, 2011 में प्रस्तुत

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

हुआ। जिसमें निर्णय लिया कि प्रकरण में गत बैठक में प्रदत्त निर्देश के अनुरूप मानचित्र आदि प्राप्त नहीं हुए है साथ ही यह स्थिति भी स्पष्ट नहीं हुई है कि आवेदित भूमि प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज की जीएडी के अन्तर्गत आरओबी, क्लोवर लीफ तथा सम्पर्क सडकों के निर्माण में आ रही है अथवा नहीं? अतः समस्त सूचनाओं के साथ प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

बैठक में लिये गये निर्णय की पालना में रिपोर्ट प्राप्त की। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम नान्दडी के खसरा संख्या 79 व 79/1 की कुल 19 बीघा 16 बिस्वा 08 बिश्वांसी भूमि जोधपुर जयपुर रेलवे क्रॉसिंग नम्बर सी–165 पर आर.ओ.बी. निर्माण हेतु अवाप्ति किया जाना प्रस्तावित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रकरण निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 (2) :: जोधपुर एग्रीकलचर प्राईवेट लिमिटेड ग्राम नान्दडा खुर्द खसरा संख्या 3/1 रकबा 5950.00 वर्ग मीटर औद्योगिक से संस्थानिक। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 60/2011

आवेदक जोधपुर एग्रीकलचर प्राईवेट लिमिटेड प्लाट संख्या 208, एकता नगर, बनाड़ रोड, जोधपुर द्वारा ग्राम नान्दडा खुर्द के खसरा संख्या 3/1 में 5950 वर्ग मीटर भूमि का औद्योगिक से संस्थानिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है पटवारी की मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 29 जुलाई, 2011 में प्रस्तुत हुआ। समिति ने निर्णय लिया कि प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार विद्यालय का सम्पर्क सडक मार्ग व होटल का सम्पर्क सडक मार्ग एक ही प्रतीत होता है इससे यह प्रकट होता है कि होटल परिसर में ही विद्यालय का संचालन होगा जो उचित नहीं है। अतः इस संबंध में वस्तुस्थिति स्पष्ट करायी जावे। संबंधित उपायुक्त एवं उप नगर नियोजक स्वयं मौका देखकर एवं चैक लिस्ट में रिपोर्ट अंकित करते हुए उक्त बिन्दुओं पर विस्तृत रूप से टिप्पणी देवें तथा प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। प्रकरण गत बैठक दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 में प्रस्तुत हुआ। बैठक में निर्णय लिया कि प्रकरण में संबंधित उपायुक्त एवं उप नगर नियोजक की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। अत प्रकरण उपायुक्त एवं उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के साथ कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन निम्नांकित शर्तो की पूर्ति होने पर किया जावे:–

1– प्रस्तावित शैक्षणिक संस्थान के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग से 60 फीट चौडाई का सम्पर्क सडक से जोडा जाना सुनिश्चित किया जावे।

2– भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में राज्य सरकार के स्तर से प्राप्त होने वाले सम्भावित नये नियमों की पालना भी आवेदक द्वारा की जावेगी।

प्रस्ताव संख्या 6 :: श्री प्रकाश हंसराज पटेल पुत्र श्री हंसराज उकाराम पटेल

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

(3) **ग्राम तनावडा खसरा संख्या 38/2/3 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा आवासीय से औद्योगिक। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 192/2010**

आवेदक श्री प्रकाश हंसराज पटेल पुत्र श्री हंसराज उकाराम पटेल द्वारा ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 38/2/3 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा भूमि का आवासीय से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर भूमि खाली है तथा आसपास के क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयों का कार्य प्रगति पर है। भूखण्ड के सामने 60 फीट की सडक है।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 29 जुलाई, 2011 में प्रस्तुत हुआ। समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण में आपत्ति प्राप्त हुई है। अतः प्राप्त आपत्ति के संबंध में संबंधित उपायुक्त की रिपोर्ट मंगवायी जावे साथ ही उपायुक्त एवं सहायक नगर नियोजक की चैक लिस्ट में रिपोर्ट प्राप्त की जावे तथा उपायुक्त से आसपास के क्षेत्र में संचालित हो रही अन्य औद्योगिक इकाईयों के भू–उपयोग परिवर्तन व रूपान्तरण के संबध भी जांच करवाकर रिपोर्ट प्राप्त की जाकर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। प्रकरण गत बैठक दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 में प्रस्तुत हुआ। जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रकरण के संबध में प्राप्त आपत्ति के संबंध में विधि शाखा एवं संबंधित उपायुक्त की संयुक्त रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे। इस संबंध में विधि शाखा व उपायुक्त की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जो कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निणयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन इस शर्त के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया कि आवेदक प्रस्तावित भूमि पर प्रदूषण रहित उद्योग राजस्थान प्रदूषण नियत्रण मण्डल की अनुमति लेकर ही लगायेगा। भू–उपयोग परिवर्तन के संबध में राज्य सरकार के स्तर से प्राप्त होने वाले सम्भावित नये नियमों की पालना भी आवेदक द्वारा की जावेगी।

प्रस्ताव संख्या 6 :: (4) **श्री लीलाधर पुत्र श्री राम गोपाल भट्टड निवासी बी–147 कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार द्वारा ग्राम चौखा के खसरा संख्या 764/2 रकबा 3960 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से होटल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। (प्रकरण संख्या 94/2011)**

श्री लीलाधर पुत्र श्री राम गोपाल भट्टड निवासी बी–147 कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार द्वारा ग्राम चौखा के खसरा संख्या 764/2 रकबा 3960 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से होटल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर भूमि रिक्त है तथा चारों तरफ फेंसिंग है। संदर्भित भूमि जेसलमेर बाईपास पर स्थित है तथा जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षेत्र में अंकित है। बाईपास सडक के मध्य बिन्दु से 100 फीट सडक हेतु एवं 75 फीट का पर्यावरण क्षेत्र (प्लाण्टेशन बेल्ट) छोडने के पश्चात् प्रश्नगत भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 9 नवम्बर, 2011 में प्रस्तुत हुआ। बैठक में संबधित उपायुक्त द्वारा आवेदित भूमि के स्वामित्व की सुनिश्चितता करने तथा उसके पश्चात् सचिव एवं आयुक्त प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात् प्रकरण में आवेदन अनुसार भू–उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

आवेदक श्री लीलाधर भट्टड खसरा स्वामी खसरा संख्या 764/2 ने आवेदन-पत्र दिनांक 21 नवम्बर, 2011 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके आवेदन-पत्र में अंकित "होटल" शब्द निरस्त किया जाये एवं क्षेत्रफल 3960 वर्ग मीटर के स्थान पर 4000 वर्ग मीटर भूमि अंकित किया जावे।

इस संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि आवेदक श्री लीलाधर पुत्र श्री राम गोपाल भट्टड निवासी बी-147, कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार योजना ने ग्राम चौखा के खसरा संख्या 764/2 रकबा 3960 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का रहवासीय से होटल/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। जिसके कम में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 9 नवम्बर, 2011 को निर्णित किया गया।

अब आवेदक उक्तानुसार प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है। इस संबंध में निवेदन है कि आवेदन-पत्र में वर्णित क्षेत्रफल 3960 वर्ग मीटर के स्थान पर 4000 वर्ग मीटर है जो नगण्य है तथा आवेदित भू-उपयोग होटल/वाणिज्यिक के स्थान पर वाणिज्यिक करने हेतु निवेदन किया है। अतः इस संबंध में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

प्रस्ताव संख्या 6 (5) :: **श्री लीलाधर पुत्र श्री राम गोपाल भट्टड निवासी बी-147 कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार द्वारा ग्राम चौखा के खसरा संख्या 764/1 रकबा 3960 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से होटल प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन। (प्रकरण संख्या 95/2011)**

श्री लीलाधर पुत्र श्री राम गोपाल भट्टड निवासी बी-147 कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार द्वारा ग्राम चौखा के खसरा संख्या 764/1 रकबा 3960 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से होटल/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया। आवेदित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार मौके पर भूमि रिक्त है तथा चारों तरफ फेंसिंग है। संदर्भित भूमि जेसलमेर बाईपास पर स्थित है तथा जोधपुर मास्टर प्लान 2023 अनुसार आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित क्षेत्र म अंकित है। बाईपास सडक के मध्य बिन्दु से 100 फीट सडक हेतु एवं 75 फीट का पर्यावरण क्षेत्र (प्लाण्टेशन बेल्ट) छोडने के पश्चात् प्रश्नगत भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 9 नवम्बर, 2011 में प्रस्तुत हुआ। समिति द्वारा संबंधित उपायुक्त द्वारा आवेदित भूमि के स्वामित्व की सुनिश्चितता करने तथा उसके पश्चात् सचिव एवं आयुक्त प्राधिकरण के अनुमोदन के पश्चात् प्रकरण मे आवेदन अनुसार भू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

आवेदक श्री लीलाधर भट्टड खसरा स्वामी खसरा संख्या 764/1 ने आवेदन-पत्र दिनांक 21 नवम्बर, 2011 ने प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके आवेदन-पत्र मे अंकित "होटल" शब्द निरस्त किया जाये एवं क्षेत्रफल 3960 वर्ग मीटर के स्थान पर 4000 वर्ग मीटर भूमि अंकित किया जावे।

इस सबंध में वस्तु स्थिति यह है कि आवेदक श्री लीलाधर पुत्र श्री राम गोपाल भट्टड निवासी बी-147, कमला नेहरू नगर प्रथम विस्तार योजना ने ग्राम चौखा के खसरा संख्या 764/1 रकबा 3960 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का रहवासीय से

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

होटल/वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ हेतु भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। जिसके कम में कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 9 नवम्बर, 2011 को निर्णित किया गया।

अब आवेदक प्रासंगिक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। इस संबंध में निवेदन है कि आवेदन–पत्र में वर्णित क्षेत्रफल 3960 वर्ग मीटर के स्थान पर 4000 वर्ग मीटर है जो नगण्य है तथा आवेदित भू–उपयोग होटल/वाणिज्यिक के स्थान पर वाणिज्यिक करने हेतु निवेदन किया है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में वाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव संख्या 6 (4) एवं प्रस्ताव संख्या 6 (5) मे उल्लेखित प्रकरणों में आवेदक श्री लीलाधर एक ही व्यक्ति है तथा आवेदित दोनों भूखण्ड लगते हुए तथा दोनों भूखण्डों का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने का आवेदन किया है। प्रकरण एक ही आवेदक से संबंधित होने एवं एक ही प्रयोजनार्थ है तथा प्रस्तावित भूमि एक ही खसरे का भाग होने के कारण कुल क्षेत्रफल 7920 वर्ग मीटर हो जाता है। अतः उक्त दोनों प्रकरणों को संयोजित किया जाकर राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 (6) : राजस्व ग्राम रलावास के खसरा सख्या 134/248 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि का परिधि नियंत्रण पट्टी से पेट्रौल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्रीमती सजन कंवर पत्नि श्री नारायण सिंह। प्रकरण संख्या 28/2011

आवेदक श्रीमती सजन कंवर पत्नि श्री नारायण सिंह ने राजस्व ग्राम रलावास के खसरा संख्या 134/248 रकवा 2 बीघा 1 बिस्वा भूमि का परिधि नियत्रंण पट्टी से पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन आवेदन किया है। पटवारी की मौका रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि मौके पर रिक्त है तथा नागौर – जाजीवाल बाईपास पर अवस्थित है। आवेदित भूमि परिधि नियंत्रण पट्टी में अवस्थित है तथा आवेदक द्वारा पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। इस संबंध में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा बार बार भू–उपयोग परिवर्तन हतु सम्पर्क किया जा रहा है। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा हाल ही में पत्र प्रेषित कर महिला कोटे से निम्नलिखित पेट्रोल पम्प हेतु भू–उपयोग परिवर्तन की मांग की है:–

1– श्रीमती नीता आहूजा ग्राम डोली खसरा संख्या 306 मीन रकबा 1225 वर्ग मीटर

2– श्रीमती नीलीमा ग्राम दांतीवाडा खसरा संख्या 205/3/2 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा

3– श्रीमती संतोष चौधरी ग्राम दूगड खसरा संख्या 480/41/1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा

4– श्रीमती सज्जन कंवर ग्राम रलावास खसरा संख्या 134/248 रकबा 1225 वर्ग मीटर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डीपी सिविल रिट पिटीशन संख्या 1554/2004 श्री गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान स्टेट व अन्य में दिनांक 9 दिसम्बर, 2011 को आदेश पारित कर परिधि नियंत्रण पट्टी में भू–उपयोग परिवर्तन की रोक लगायी है।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 में प्रस्तुत हुआ। बैठक में उक्त प्रकरणों के संबंध में विचार विमर्श किया गया और यह मत व्यक्त किया गया कि परिधि नियत्रण पट्टी के संबंध में मास्टर प्लान 2023 में पेट्रोल पम्प अनुज्ञेय गतिविधि के रूप में वर्णित है। ऐसी स्थिति में यह भू–उपयोग परिवर्तन का मामला नहीं बनता है। इस संबंध में चूंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डीबी सिविल रिट पिटीशन सख्या 1554/2004 श्री गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान स्टेट व अन्य में दिनांक 9 दिसम्बर, 2011 को रोक लगायी हुई जो आज भी प्रभावी है। अतः श्री आर.एल. जांगीड़, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय से इस संबंध में राय ली जावे कि क्या उक्त अनुसार पेट्रोल पम्प की अनुमति दिये जाने से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वर्णित याचिका में दिये गये स्थगनादेश के विपरित या अवमाननाकारी गतिविधि तो नहीं होगी।

बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में निदेशक–विधि ने रिपोर्ट दी है कि इस सामानान्तर प्रकरण में अतिरिक्त महाधिवक्ता से रिपोर्ट चाही गयी है। जो अभी तक अप्राप्त है। प्रकरण कार्यकारी समिति की गत बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना में समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्त प्रकरणों में क्रम संख्या 3– श्रीमती संतोष चौधरी ग्राम दूगड खसरा संख्या 480/41/1 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा द्वारा आवेदन करने पर माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा अनुमति प्रदान की है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि क्रम संख्या 3 पर अंकित श्रीमती संतोष चौधरी के प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय ने अनुमति प्रदान कर दी है। अतः उक्त प्रकरण मे आवदन अनुसार पेट्रोल पम्प प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन किया जावे तथा प्रकरण में अंकित अन्य प्रकरणो के संबंध में संबंधित आवेदक को माननीय उच्च न्यायालय से आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में अनुमति प्राप्त करने हेतु सूचित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 6 (7(1))	::	राजस्व ग्राम मोगडा कलां के खसरा संख्या 177/1 कुल रकबा 8 बीघा भूमि से में 5 बीघा भूमि का कृषि आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक मैसर्स प्रेस्टीज सिटी डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री मोहनसिंह सांजू पुत्र श्री उम्मेद सिंह सांजू कार्यालय 1/एस एफ कमल कॉम्प्लेक्स, पांचबत्ती, एम. आई. रोड, जयपुर। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 109/2010

आवेदक मैसर्स प्रेस्टीज सिटी डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री मोहनसिंह साजू पुत्र श्री उम्मेद सिंह सांजू कार्यालय 1/एस एफ कमल कॉम्प्लेक्स, पाचबत्ती, एम.आई. रोड, जयपुर ने राजस्व ग्राम मोगडा कलां के खसरा संख्या 177/1 कुल रकबा 8 बीघा भूमि से में 5 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

दिनांक 7 सितम्बर, 2010 को स्थानीय दो समाचार–पत्रों मों आमंत्रित किये गये जिसके कम में कोई आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

उपायुक्त–दक्षिण, अधिशाषी अभियन्ता एवं उप नगर नियोजक की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित भूमि जोधपुर – पाली मुख्य मार्ग पर स्थित प्रेस्टीज सिटी के पूर्व में उक्त विद्यमान योजना के लगते स्थित है। मौका अनुसार उक्त भूमि रिक्त है तथा सम्भवतः उक्त योजना के विस्तार हेतु प्रस्तावित की गयी है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत पी.टी. सर्वे अनुसार उक्त प्रस्तावित भूमि में 18 मीटर सडक से लिंक होती है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर प्रस्तावित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की जा सकती है।

उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि पेरिफेरी कण्ट्रोल बैल्ट में स्थित है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि संबंधित आवेदक को माननीय उच्च न्यायालय से आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में अनुमति प्राप्त करने हेतु सूचित किया जावे एवम् उसके पश्चात् दोनों प्रकरणों प्रस्ताव संख्या 6 (7(1)) व प्रस्ताव संख्या 6 (7(2)) में एक ही आवेदक, एक ही खसरा, एक ही लोकेशन होने के कारण राज्य सरकार को प्रषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 6 (7(2)) :: राजस्व ग्राम मोगडा कलां के खसरा संख्या 177 / 1 कुल रकबा 8 बीघा भूमि से में 3 बीघा भूमि का कृषि आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक मैसर्स प्रेस्टीज सिटी डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री मोहनसिंह सांजू पुत्र श्री उम्मेद सिंह सांजू कार्यालय 1 / एस एफ कमल कॉम्प्लेक्स, पांचबत्ती, एम. आई. रोड, जयपुर। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 108 / 2010

आवेदक मैसर्स प्रेस्टीज सिटी डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर श्री मोहनसिंह सांजू पुत्र श्री उम्मेद सिंह सांजू कार्यालय 1 / एस एफ कमल कॉम्प्लेक्स, पांचबत्ती, एम.आई. रोड, जयपुर ने राजस्व ग्राम मोगडा कलां के खसरा संख्या 177 / 1 कुल रकबा 8 बीघा भूमि से में 3 बीघा भूमि का आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति / सुझाव दिनांक 7 सितम्बर, 2010 को स्थानीय दो समाचार–पत्रों मों आमंत्रित किये गये जिसके कम में कोई आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

उपायुक्त–दक्षिण, अधिशाषी अभियन्ता एवं उप नगर नियोजक की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित भूमि जोधपुर – पाली मुख्य मार्ग पर स्थित प्रेस्टीज सिटी के पूर्व में उक्त विद्यमान योजना के लगते स्थित है। मौका अनुसार उक्त भूमि रिक्त है तथा सम्भवतः उक्त योजना के विस्तार हेतु प्रस्तावित की गयी है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत पी.टी. सर्वे अनुसार उक्त प्रस्तावित भूमि में 18 मीटर सडक से लिंक होती है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर प्रस्तावित भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की जा सकती है।

उप नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि पेरिफेरी कण्ट्रोल बैल्ट में स्थित है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया कि संबंधित आवेदक को माननीय उच्च न्यायालय से आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में अनुमति प्राप्त करने हेतु

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

सूचित किया जावे एवम् उसके पश्चात् दोनों प्रकरणों प्रस्ताव संख्या 6 (7(1)) व प्रस्ताव संख्या 6 (7(2)) में एक ही आवेदक, एक ही खसरा, एक ही लोकेशन होने के कारण राज्य सरकार को प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 6 (8) :: **राजस्व ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 145 रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा भूमि का औद्योगिक से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री मूलाराम पुत्र श्री पेमाराम जरिये आम मुख्त्यार निवासी गांव भाकरासनी जिला जोधपुर भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 141/2012**

आवेदक श्री मूलाराम पुत्र श्री पेमाराम जरिये आम मुख्त्यार ने ग्राम भाकरासनी के खसरा संख्या 145 रकबा 37 बीघा 14 बिस्वा भूमि का औद्योगिक प्रयोजनार्थ से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव दिनांक 5 जनवरी, 2012 को दो स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित करवायी जिसके कम में चैयरमैन एवं सेकेट्री, लीगल सोसायटी, जालोरीगेट के अन्दर, जोधपुर द्वारा आपत्ति दिनाक 17 जनवरी, 2012 प्रस्तुत की है।

मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि मौके पर पूर्ण रूप से खाली है तथा चार दीवारी बनी हुई है। आवेदित भूमि मुख्य पाली रोड के पश्चिम की ओर स्थित है। आवेदित भूमि में कोई एल.टी. लाईन इत्यादि नहीं गुजर रही है। आवेदित भूमि में जाने के लिए खसरा संख्या 142 में रास्ता दिया गया है। जो मुख्य पाली रोड को जोडता हुआ है।

प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की अधिकारिता का है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को अनुशंषा के साथ भिजवाने के संबंध में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति की अधिकारिता का होने से प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 (9) :: **राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 105 में स्थित भूखण्ड संख्या 9, 9/ए कुल रकबा 1535.58 वर्ग मीटर का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री नरेश कुमार गौड एवं श्रीमती सरला गौड। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 4/2012**

आवेदक श्री नरेश कुमार गौड एवं श्रीमती सरला गौड ने राजस्व ग्राम चौपासनी जागीर के खसरा संख्या 105 में स्थित भूखण्ड संख्या 9, 9/ए कुल रकबा 1535.58 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव दिनांक 9 फरवरी 2012 को स्थानीय दो समाचार–पत्रों मे आमंत्रित किये गये जिसके कम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि आवेदित दोनों भूखण्डों का क्षेत्रफल 1535.58 वर्ग मीटर है। उक्त भूखण्डों के एकीकरण किये जाने की अधिकारिता राज्य सरकार में निहित है। अतः प्रकरण राज्य सरकार को एकीकरण की स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जावे तथा राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही भू–उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किये जावे।

प्रस्ताव संख्या 6 (10) :: राजस्व ग्राम बागा के खसरा संख्या 622 रकबा 1923.66 वर्ग गज का आवासीय से लघु उद्योग भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री मदनलाल पुत्र श्री सुखलाल भाटी। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 52/2009

आवेदक श्री मदनलाल पुत्र श्री सुखलाल भाटी ने उपरोक्तानुसार ग्राम बागा के खसरा संख्या 622 रकबा 1923.66 वर्ग गज का आवासीय से लघु उद्योग प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में दो स्थानीय समाचार पत्र में दिनाक 17 अक्टूबर, 2010 को आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये गये। जिसके कम में श्री अभयसिंह, बागा गांव के निवासी द्वारा आपत्ति प्रस्तुत कर कथन किया है कि आवेदित स्थल पर साडियां धोने का कार्य चल रहा है जिसके कारण पूरे क्षेत्र म तेजाब की बदबू आती है तथा आसपास के वातावरण में बदबू होने तथा भूमि खराब हो रही है। जिसके क्रम म आवेदक श्री मदनलाल भाटी द्वारा प्रतिउत्तर पेश करते हुए यह कथन किया है कि उनके द्वारा साडी धोने का कार्य बन्द कर आवेदित स्थल पर मिनरल वाटर का प्लाण्ट लगाया जाएगा। अतः भू–उपयोग परिवर्तन करावें। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में वाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित उद्योग के लिए राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण–पत्र इस आशय का प्राप्त किया जावे कि प्रस्तावित उद्योग प्रदूषण रहित है साथ ही आपत्तिकर्ता श्री अभयसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में आपत्ति के संबंध में भी संबंधित उपायुक्त की बिन्दुवार टिप्पणी ली जाकर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 6 (11) :: राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1874/916 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वांशी, खसरा संख्या 1474/914 रकबा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 1917/1875 रकबा 5 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि में से 1415.86 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री विपिन सिंह गहलोत पुत्र श्री आनन्दीलाल। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 43/2011

आवेदक श्री विपिन सिंह गहलोत पुत्र श्री आनन्दीलाल ने उपरोक्तानुसार राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1874/916 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वांशी, खसरा संख्या 1474/914 रकबा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 1917/1875 रकबा 5 बिस्वा 10 बिस्वांशी भूमि म से 1415.86 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयेाग के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना दिनांक 7 जून, 2011 को दो स्थानीय समाचार–पत्रों में प्रकाशित करवायी जिसके कम में चेयरमैन एवं सेकेट्री, लीगल सोसायटी, जालोरीगेट के अन्दर, जोधपुर द्वारा आपत्ति दिनांक 21 जून, 2011 प्रस्तुत की है।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि में 60 फीट चौडी सडक गुजर रही है। मौका अनुसार घरेलू विद्युत भूमि में चल रही है तथा संलग्न ले–आऊट अनुसार राजकीय भूमि एवं राजकीय रास्ते की भूमि नहीं है। उप नगर नियोजक व उपायुक्त की चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

प्रस्ताव संख्या 6 (12) :: राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 916/747, 1876/1475 व 1875/916 कुल रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा में से 1415.86 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्री विरेन सिंह गहलोत पुत्र श्री आनन्दीलाल। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 78/2011

आवेदक श्री विरेनसिंह गहलोत पुत्र श्री आनन्दीलाल ने उपरोक्तानुसार राजस्व ग्राम जोधपुर के खसरा सख्या 916/747, 1876/1475 व 1875/916 कुल रकबा 1 बीघा 2 विस्वा म से 1415.86 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु सूचना स्थानीय समाचार–पत्र में दिनांक 8 जुलाई, 2011 में प्रकाशित करवायी जिसके कम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर भूखण्ड के चारों तरफ चार दीवारी का निर्माण किया हुआ है तथा भूखण्ड मौके पर रिक्त है। आवेदित भूमि में 60 फीट चौडी सडक पर भूखण्ड स्थित है तथा राजकीय भूमि, रास्ता (कटाण) राजकीय मार्ग नहीं है। उप नगर नियोजक व उपायुक्त की चैक लिस्ट अनुसार आवेदित भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

प्रस्ताव संख्या 6 (13) :: ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 1877/1475, 1916/1875 के कुल रकबा में से 1693.11 वर्ग मीटर भूमि का आवासीय से वाणिज्यिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण। आवेदक श्री महेश गहलोत पुत्र श्री आनन्दी लाल (प्रकरण संख्या एफ. 37/ 138/2008 भूउप)

जोधपुर मास्टर प्लान के अनुसार आवेदित भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ अंकित क्षेत्र में स्थित है। आवेदक द्वारा आवासीय से होटल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किये जाने पर प्रकरण के संबंध में विज्ञप्ति जारी कर आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाने पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रकरण कार्यकारी समिति की गत बैठक में रखे जाने पर उक्त क्षेत्र का रोड नेटवर्क प्लान बनाये जाने के पश्चात् परीक्षण किये जाने का निर्णय लिया गया था। इसके अतिरिक्त इसी क्षेत्र के निम्नलिखित प्रकरण भी प्राप्त हुए हैं–

क्र स.	प्रकरण संख्या	नाम आवेदक	आवेदित भूमि का विवरण
1-	115/2008	श्रीमती किरण पत्नि श्री कमलेश गहलोत	ग्राम जोधपुर खसरा संख्या 1884/1475 में 1285 वर्ग मीटर भूमि
2-	114/2008	श्रीमती तीजादेवी पत्नि श्री गोविन्द राम	ग्राम जोधपुर खसरा संख्या 1882/1475 में 1285 वर्ग मीटर भूमि

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

संयुक्त मौका रिपोर्ट अनुसार उक्त क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से सडक प्रतिरूप विकसित हुआ है। आवेदित भूखण्डों के सामने 100 फीट चौडी सडक स्थित है। प्राधिकरण के उप नगर नियोजक द्वारा उक्त क्षेत्र का रोड नेटवर्क प्लान तैयार किया गया है जिसके संबंध में निर्णय लिया जाना है। प्रकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि के सामने दर्शायी गयी सड़क अभिलेखों में जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम अथवा सिवायचक दर्ज है या नहीं इसकी जांच की जाकर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

प्रकरण मे प्राप्त पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार भूखण्ड के सामने स्थित सडक 60 फीट चौडाइं मे है। वह खातेदार की खातेदारी भूमि में शामिल है। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 1 दिसम्बर, 2010 में प्रस्तुत हुआ। जिसमें निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि के सामने 60 फीट चोडी सडक कायम रखते हुए तथा सुविधा क्षेत्र 40 प्रतिशत छोड़ने की शर्त पर भू–उपयोग परिवर्तन किया जाता है। उक्त निर्णय प्रस्तावित ले–आऊट प्लान में आने वाले समस्त प्रकरणों पर लागू होगा तकि 60:40 के अनुपात में सुविधा क्षेत्र कायम रखा जा सके।

उपरोक्त तीनो प्रकरण में आवेदक ने जरिये अधिवक्ता निवेदन किया है कि 60 फीट चौडी सडक जो मौके पर उपलब्ध है, छोडते हुए भू–उपयोग परिवर्तन आदेश प्रदान करावें।

'उपरोक्त तीनों पत्रावली में उप नगर नियोजक ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रकरण मे 60:40 का अनुपात रखने बाबत लिखा है। प्रकरण एकल भूखण्ड का है। जिसमे 60:40 का अनुपात शायद सहवन से लिखा गया है। अतः इसे दुरूस्त करने हेतु आगामी बैठक मे रखा जाना उचित होगा। अतः उपरोक्त तीनों प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रस्ताव संख्या 6(11), प्रस्ताव संख्या 6(12) एवं प्रस्ताव सख्या 6 (13) मे वर्णित प्रकरण की भूमियां आपस में जुडी हुई है तथा आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन भी एक ही और एक ही खाते के सहखातेदारों की भूमि है जो एक ही परिवार के सदस्यों की है। अतः इन सभी प्रकरणो में वर्णित भूमि को संयोजित किया जाकर प्रकरण राज्य स्तरीय भू–उपयोग परिवर्तन समिति को प्रेषित किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 6 (14) : **ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 11/2 में स्थित भूखण्ड संख्या 2 रकबा 933.33 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्रीमती सुजी देवी पत्नि श्री सादाराम मेघवाल। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 110/2011**

आवेदक श्रीमती सुजी देवी पत्नि श्री सादाराम मेघवाल ने राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 11/2 में स्थित भूखण्ड संख्या 2 रकबा 933.33 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

समाचार–पत्रों में सूचना दिनांक 26 अक्टूबर, 2011 के अंक में प्रकाशित करवायी गयी। जिसके कम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 11/2 का मास्टर प्लान 2023 के अनुसार भू–उपयोग आवासीय आरक्षित है। उपरोक्त खसरा के भूखण्ड संख्या 2 आशापूर्णा वैली में 70 फीट चोडी सडक पर स्थ्ज्ञित है तथा पश्चिम दिशा में हाईकोर्ट प्रस्तावित भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। उत्तर दिशा में 200 फीट चौडी बाईपास सडक तथा दक्षिण दिशा में इसी खसरे की भूमि आशापूर्णा वैली स्थित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

प्रस्ताव संख्या 6 (15) :: **ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 11/2 में स्थित भूखण्ड संख्या 3 रकबा 933.33 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन। आवेदक श्रीमती सुजी देवी पत्नि श्री सादाराम मेघवाल। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 109/2011**

आवेदक श्रीमती सुजी देवी पत्नि श्री सादाराम मेघवाल ने राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 11/2 में स्थित भूखण्ड संख्या 3 रकबा 933.33 वर्ग गज भूमि का आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध मे आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित करने हेतु दो स्थानीय समाचार–पत्रों मे सूचना दिनांक 4 नवम्बर, 2011 के अंक में प्रकाशित करवायी गयी। जिसके कम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 11/2 का मास्टर प्लान 2023 के अनुसार भू–उपयोग आवासीय आरक्षित है। खसरा संख्या 11/2 मुख्य बाईपास रोड पर दक्षिण दिशा में स्थित है। बाईपास रोड के दोनो तरफ 75 फीट प्लाण्टेशन आरक्षित है तथा सडक के दक्षिण दिशा में आशापूर्णा वैली का गेट बना हुआ है। प्रार्थी ने आवासीय से व्यवसायिक हेतु भू–उपयोग परिवर्तन चाहा है। इसी खसरा संख्या 11/2 के पश्चिम दिशा में हाईकोर्ट भवन के निर्माण का कार्य चल रहा है। अतः आवासीय से व्यवसायिक हेतु भू–उपयोग परिवर्तन हेतु अनुशंषा की जा सकती है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव संख्या 6(14) एवं प्रस्ताव संख्या 6(15) मे वर्णित भूमि एक ही खसरा नम्बरान की भूमि है तथा आवेदक भी एक ही व्यक्ति (महिला) है। अतः उपरोक्त दोनों प्रकरणों में उल्लेखित भूमि का संयुक्तिकरण करने हेतु राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् भू–उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 (16) :: **मैसर्स ब्राईट मेटल्स जरिये श्री रमेश भंसाली पुत्र स्व. श्री पारस मल जी भंसाली निवासी सी–313 शास्त्रीनगर, जोधपुर द्वारा आवेदित भूखण्ड संख्या 4, मिल्कमैन कॉलोनी के पास, जोधपुर का लघु उद्योग से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन बाबत। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 143/2011**

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

आवेदक मैसर्स ब्राईट मेटल्स जरिये श्री रमेश भंसाली पुत्र स्व. श्री पारस मल जी भंसाली निवासी सी–313 शास्त्रीनगर, जोधपुर द्वारा आवेदित भूखण्ड संख्या 4, मिल्कमैन कॉलोनी के पास, जोधपुर का लघु उद्योग से आवासीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय समाचार–पत्रों में सूचना दिनांक 13 जनवरी, 2012 के अंक में प्रकाशित करवायी गयी। जिसके क्रम में क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको ने जरिये पत्र क्रमांक 7798 दिनांक 31 जनवरी, 2012 द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की है। प्रस्तुत आपत्ति के क्रम में स्थिति स्पष्ट करने हेतु इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 649 दिनांक 13 फरवरी, 2012 जारी किया गया है। जिसके क्रम में प्रतिउत्तर प्राप्त होना अपेक्षित है।

सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि का मास्टर प्लान 2023 के अनुसार भू–उपयोग औद्योगिक आरिक्षत है। भूखण्ड संख्या 4 पुलिस थाना शास्त्रीनगर के पीछे काजरी से मुख्य पाल सडक को मिलान करने वाली सडक के उत्तर दिशा में स्थित है तथा दक्षिण दिशा में मिल्कमैन कॉलोनी स्थित है। पश्चिम में भूखण्ड संख्या 3 व पूर्व दिशा में भूखण्ड सख्या 5 स्थित है तथा भूखण्ड सख्या 4 के उत्तर दिशा में रेलवे लाईन है जो बन्द है। मौके पर फैक्ट्री निर्मित है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण के संबंध में राज्य सरकार के स्तर से यह मार्गदर्शन प्राप्त किया जावे कि ऐसे क्षेत्र जो रीको द्वारा विकसित नही किया गया है एव रीको द्वारा भूखण्डों का आवंटन भी नहीं किया गया है ऐसे क्षेत्र मे भी रीको से अनापत्ति भू–उपयोग परिवर्तन के लिए लिया जाना आवश्यक रहेगा? साथ ही प्रकरण के परीक्षण के संबंध में उपायुक्त–दक्षिण की अध्यक्षता में एक उप–समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। उक्त उप–समिति में उप नगर नियोजक, अधिशाषी अभियन्ता–दक्षिण एवं निदेशक–विधि सदस्य होंगे। उक्त उप–समिति प्रकरण के समस्त तथ्यों का प्रचलित नियमों के संदर्भ में परीक्षण करते हुए प्रस्तावित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में राय प्रस्तुत करेगी।

प्रस्ताव संख्या 6 (17) :: **ग्राम** तनावडा के खसरा संख्या **37/4/13** रकबा 1 **बीघा** 2 बिस्वा 19 बिस्वांशी का **आवासीय से** औद्योगिक (हैण्डीकाफ्ट इकाई) प्रयोजनार्थ भू–उपयोग **परिवर्तन। आवेदक श्रीमती रेशमीदेवी डागा पत्नि श्री** भोजराज डागा। भू–उपयोग **परिवर्तन प्रकरण** संख्या **26/2011**

आवेदक श्रीमती रेशमी देवी डागा ने राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 37/4/13 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा 19 बिस्वांशी भूमि का आवासीय से औद्योगिक (हैण्डीकाफ्ट इकाई) प्रयोजनार्थ किये जाने हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के सबंध मे आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय समाचार–पत्रों में सूचना दिनाक 19 नवम्बर, 2011 के अंक में प्रकाशित करवायी गयी। जिसके क्रम मे श्री संजूसिह निवासी मधुबन हाऊसिंग बोर्ड, बासनी जोधपुर द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की है।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 37/4/13 का मास्टर प्लान 2023 के अनुसार भू–उपयोग आवासीय आरक्षित है। खसरा संख्या 37/4/13 पहुंच मार्ग 60 फीट चौडी है। जो मुख्य तनावडा सडक के उत्तर–पूर्व दिशा में स्थित है तथा आवेदक के भूखण्ड के आसपास अन्य औद्योगिक इकाईयों चल रही है। अत: उपरोक्त तथ्यों के क्रम में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्राप्त करने की शर्त पर भू–उपयोग परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया।

प्रस्ताव संख्या 6 (18) :: ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 26/5 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि का आवासीय/पेरिफेरी बैल्ट से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परितर्वन। आवेदक श्रीमती सीमा प्रजापत पत्नि श्री रामस्वरूप प्रजापत। भू–उपयोग परिवर्तन प्रकरण संख्या 140/2010

आवेदक श्रीमती सीमा प्रजापत पत्नि श्री रामस्वरूप प्रजापत ने ग्राम तनावडा तहसील लूणी के खसरा संख्या 26/5 की 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि का आवासीय/पेरीफेरी बैल्ट से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया है। आवेदित भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो स्थानीय समाचार–पत्रों में दिनांक 2 नवम्बर, 2010 को सूचना का प्रकाशन करवाया गया। जिसके क्रम में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ।

आयोजना शाखा की रिपोर्ट के अनुसार राजस्व ग्राम तनावडा के खसरा संख्या 26/5 का जोधपुर शहर के मास्टर प्लान के अनुसार भू–उपयोग ओ.सी.एफ. आरक्षित है। खसरा संख्या 26/5 मुख्य सडक पर स्थित है। गीताधाम सिटी व आवासीय योजनाओं के लगते विद्यमान व संचालित है। मुख्य सालावास जोधपुर सडक की मास्टर प्लान के अनुसार चौडाई 200 फीट आरक्षित है। अतः उपरोक्त तथ्यों के क्रम में प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदित प्रकरण ओ.सी.एफ. हेतु आरक्षित भूमि से औद्योगिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन का है, जो प्राधिकरण स्तर पर प्रतिबधित प्रकरणों की श्रेणी में आता है। अतः प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 7 :: पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति के संबंध में।

प्राधिकरण में अधिवक्ता व सहायक अधिवक्ताओं की नियुक्ति हेतु निम्नानुसार प्रार्थना–पत्र प्राप्त हुए हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	अधिवक्ता का नाम	रजिस्ट्रेशन नं.	नियुक्ति जिसमें चाही हैं	विशेष विवरण
1.	श्री कुलदीप	R/10068/2011	पैनल अधिवक्ता	
2.	श्री साबिर खान	2234/06	पैनल अधिवक्ता	
3.	श्री धर्मेन्द्रसिंह राठौड़	R/201/2001	पैनल अधिवक्ता	
4.	श्री विकास फोफलिया	R/806/2004	पैनल अधिवक्ता	
5.	श्रीमती राजू सारस्वत	2428/2003	पैनल अधिवक्ता	
6.	श्री श्रवण कुमार विश्नोई	R/819/2002	सहायक अधिवक्ता	सहायक अधिवक्ता की नियुक्ति चाहते हैं, जबकि पैनल अधिवक्ता नियुक्त हैं

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

7.	श्री बालाराम	R/703/2003	सहायक अधिवक्ता	
8.	श्री धीरेन्द्र दाधीच	R/857/2004	सहायक अधिवक्ता	
9.	श्री कमलेश जोशी	R/4865/2010	सहायक अधिवक्ता	
10.	श्री भवानीसिंह	R/1905/2009	सहायक अधिवक्ता	

अतः इस संबंध में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तालिका में वर्णित अधिवक्ताओं म से क्रम संख्या 6 पर अंकित श्री श्रवण कुमार विश्नोई पहले से ही पैनल अधिवक्ता नियुक्त है। अतः वे पैनल अधिवक्ता ही रहेंगे। शेष सभी अधिवक्ताओं को उपरोक्त प्रस्तावानुसार पैनल/सहायक अधिवक्ता नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: राजीव गांधी नगर में आवंटित भूखण्ड संख्या बी–54 को यथावत् रखने के संबंध में।

श्री महावीर प्रसाद शर्मा ने अध्यक्ष महोदय को आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनके द्वारा सुन्दरसिंह भण्डारी आवासीय योजना में आवेदन करने पर उनको दिनांक 25 जुलाई, 2009 को खुली लॉटरी में उन्हें भूखण्ड संख्या 35 जिसका माप 39 फीट गुणा 69 फीट है, आवंटित हुआ। जिसकी राशि उनके पास नहीं होने से उनके द्वारा नहीं जमा करायी गयी।

इसके पश्चात् आवेदक द्वारा वर्ष 2010 में राजीव गांधी योजना में आवेदन किये जाने पर उन्हें भूखण्ड संख्या बी–54 आवंटित हुआ। जिसकी कीमत राशि उनके द्वारा मय ब्याज जमा करायी जा चुकी है।

आवेदक द्वारा प्राधिकरण के समक्ष जालसाजी कर धोखाधडी की गई एवं कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर प्रकरण वास्ते निर्णयार्थ कार्यकारी समिति के समक्ष दिनांक 29 जुलाई, 2011 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय की पालना में प्राधिकरण के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ.46/आवंटन/जेडीए/जेयू/ डी.सी. नार्थ/2012/373–381 दिनांक 25 जनवरी, 2012 द्वारा आवेदक को आवंटित भूखण्ड संख्या 35 सुन्दरसिह भण्डारी नगर एवं बी–54 राजीव गांधी नगर योजना निरस्त करने की पालना में आवंटित भूखण्ड संख्या 35 सुन्दरसिंह भण्डारी नगर योजना को तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाकर जमा धरोहर राशि जब्त करने तथा आवेदक के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दायर करने की कार्यवाही किये जाने के आदेश जारी किये गये है।

आवेदक द्वारा इस संबंध में अध्यक्ष महोदय को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सुन्दरसिंह भण्डारी योजना बासनी तम्बोलिया में आवंटित भूखण्ड संख्या 35 को निरस्त कर राजीव गांधी नगर मे आवंटित भूखण्ड संख्या बी–54 को यथावत् रखने की मांग की है। प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में विधिक राय ली जाकर प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 9 :: चौराहे गोद दिये जाने के संबंध में।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

प्रस्ताव संख्या 9 (1) :: रिक्तिया भैरूजी चौराहा मैसर्स वैशाली बिल्डर्स को गोद देने बाबत।

मैसर्स वैशाली बिल्डर्स एण्ड कोलोनाईजर्स ने जरिये श्री संदीप मेहता द्वारा रिक्तिया भैरूजी चौराहा को सार संभाल एवं उचित देखभाल हेतु 5 वर्ष हेतु गोद लेने बाबत निवेदन किया है। आवेदक द्वारा इस संबंध में अनुबंध भी प्रस्तुत किया है। आवेदक द्वारा मौके पर रिक्तिया भैरूजी चौराहे का विकास करवाया है। अतः इस संबंध में प्रकरण निर्णयार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार प्रस्ताव स्वीकृत करने का निर्णय लिया।

प्रस्ताव संख्या 9 (2) :: विभिन्न चौराहों एवं पार्कों को दैनिक भास्कर को गोद देने बाबत।

दैनिक भास्कर, हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया, जोधपुर ने जरिये श्री योगेश शर्मा, एच. आर.प्राधिकरण अधीन विभिन्न चौराहों एवं पार्कों को 5 वर्ष हेतु उचित देखभाल, सार संभाल हेतु गोद लिए जाने हेतु निवेदन किया है। आवेदक द्वारा इस संबंध में अनुबंध पत्र भी प्रस्तुत किया है। गोद दिए जाने वाले पार्क/चौराहों का विवरण निम्नानुसार है:–

1– पार्कः–

1– रातानाडा पार्क
2– कीर्तिनगर सेक्टर ए पार्क
3– कमला नेहरू नगर पार्क
4– सेक्टर 17 चौपासनी हाऊसिंग बोर्ड पार्क
5– शहीद पार्क यनाड रोड
6– अमृतादेवी पार्क
7– गौरव पथ वृक्षारोपण–प्रथम एवं द्वितीय

2– चौराहा–

1– शास्त्रीसर्कल
2– भाटी चौराहा
3– डॉ. महेन्द्रनाथ अरोडा सर्कल
4– आखलिया चौराहा
5– बोम्बे मोटर चौराहा
6– 12वीं रोड (मथुरादास माथुर) चौराहा
7– ओलम्पिक तिराहा
8– मेडिकल कॉलेज चौराहा
9– जे.डी.ए. चौराहा
10– पी.डब्ल्यू.डी. चौराहा
11– सर्किट हाऊस चौराहा
12– पावटा चौराहा
13– खेतसिंह जी का बंगला चौराहा
14– महामंदिर चौराहा
15– नागौरीगेट चौराहा

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

अतः इस संबंध में समुचित निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से शास्त्रीसर्कल चौराहे के अलावा अन्य सभी चौराहे व पार्क प्रस्तावानुसार गोद दिये जाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में निष्पादित किये जाने वाले आपसी सहमति–पत्र (एम.ओ.यू.) से पहले यह सुनिश्चित किया जावे कि उपरोक्त पार्क व चौराहे किसी अन्य संस्था यथा नगर निगम द्वारा किसी अन्य को गोद तो नहीं दिये गये हैं, अथवा उनकी अधिकारिता क्षेत्र के तो नहीं हैं।

प्रस्ताव संख्या 9 (3) :: विभिन्न पार्कों को गोद देने बाबत।

प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित निम्नलिखित पार्कों को गोद में लेने हेतु निम्नानुसार आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिनका विवरण निम्न प्रकार है:–

क्र.सं.	पार्क का नाम	गोद लेने हेतु आवेदन करने वाली आवेदक संस्था का विवरण
1–	बाबू लक्ष्मणसिंह पार्क – वाचनालय, महामंदिर, जोधपुर	बाबू लक्ष्मणसिंह सेवादेवी गहलोत मैमोरियल वेलफेयर सोसायटी, महामंदिर, जोधपुर
2–	रूपवाटिका सार्वजनिक उद्यान एवं सामुदायिक भवन, रूपनगर, महामंदिर, जोधपुर	जोधाणा जनकल्याण सेवा समिति, रूपनगर, महामंदिर, जोधपुर
3–	सार्वजनिक उद्यान एवं सामुदायिक भवन, हुडको क्वाटर्स, चाणक्यनगर, लालसागर, मण्डोर, जोधपुर	सृष्टि सेवा संस्थान, चाणक्य नगर, लालसागर, मण्डोर, जोधपुर
4–	सार्वजनिक उद्यान एवं सामुदायिक भवन, तिलकनगर, भदवासिया, जोधपुर	तिलक नगर मोहल्ला विकास समिति, भदवासिया, जोधपुर

अतः इस संबंध में समुचित निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 4 में अंकित पार्क व भवन उपरोक्त आवेदक संस्था को प्रस्तावानुसार गोद दिये जाने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में निष्पादित किये जाने वाले आपसी सहमति–पत्र (एम.ओ.यू.) से पहले यह सुनिश्चित किया जावे कि उपरोक्त पार्क किसी अन्य संस्था यथा नगर निगम द्वारा किसी अन्य को गोद तो नहीं दिये गये हैं, अथवा उनकी अधिकारिता क्षेत्र के तो नही हैं।

प्रस्ताव संख्या 10 :: खसरा संख्या 568, 569, 569/1, 569/2 ग्राम पाल धिनाणा की ढाणी के संबंध में।

प्रार्थी ने जरियें अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके खसरा नं. 568, 569, 569/1, 569/2 ग्राम पाल धिनाणा की ढाणी की लीजडीड जारी करने का लिखा है। उक्त खसरो की 90 बी का निर्णय दिनांक 26 फरवरी, 2005 हुआ एवं नामान्तरण संख्या 184 दिनांक 21 मार्च, 2005 द्वारा हुआ है। उक्त खसरे की मूल गार्ड पत्रावली जस्टिस श्री एन.एन. माथुर आयोग को भेजी हुई है जहां से पत्रावली प्राप्त नहीं हुई हैं। इस

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

कारण इस विभाग के आदेश कमांक 16 मार्च, 2009 एवं 23 मई, 2011 को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के साथ साथ सामानान्तर प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने के संबंध में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार का आदेश है कि जो भी पत्रावलियां एन.एन. माथुर आयोग को प्रेषित की हुई है उनकी फोटो प्रति के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जावे। किन्तु संबंधित उपायुक्त अग्रिम कार्यवाही किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेगे कि प्रकरण में पट्टे आदि जारी करने के लिए सभी कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण है और तथ्यों के अनुसार पूर्व में जारी किये गये आदेश नियमानुकूल है।

प्रस्ताव संख्या 11 :: विजयराजे नगर में कॉर्नर भूखण्डों में नीलामी द्वारा विकय भूखण्ड़ों में अधिक क्षेत्रफल के प्रकरण के संबंध में।

विजयराजे नगर म नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूखण्डो में नीलामी द्वारा दिये क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्डों का माप पाया गया। (नगरीय भूमि का निस्तारण) नियम, 974 के नियम 23 म भूमि का खण्ड आरक्षण मूल्य के दुगुने पर खण्ड का विक्रय किये जाने का प्रावधान है। कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 22.12.2011 के प्रस्ताव सख्या 8 व 9 में अधिक क्षेत्रफल के लिए आरक्षित दर का दुगना या अनुमोदित नीलामी बोली दर जो भी अधिक हो वसूल किये जाने का निर्णय लिया गया। कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 22.12.2011 के प्रस्ताव संख्या 12(1) मे विजयाराजेनगर की आरक्षित दर 3600/– के स्थान पर 8600/– कर दी गई। अधिक क्षेत्रफल राशि जमा करने में भूखण्डों के क्रेताओ ने आपत्ति की है कि लीज डीड के लिए आवेदन अप्रेल 2010, मई 2011, अगस्त 2011 में दिया जा चुका था। अतः अधिक क्षेत्रफल की गणना नीलामी बोली की दर से की जावे, न कि अनुमोदित वर्तमान आरक्षित दर की दुगनी राशि से की जावे। अत इस संबंध में समुचित निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि वर्तमान आरक्षित दर पर ही उक्त अतिरिक्त क्षेत्रफल को आवंटन किये जाने के लिए आधार माना जावे।

प्रस्ताव संख्या 12 :: खसरा संख्या 824/751 पर रहवासीय व अन्य कब्जासुदा भूखण्ड के बदले मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया में आवासगृह आवंटन बाबत।

तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर के ओदश कमांक 4696 दिनांक 1 अक्टूबर, 2008 द्वारा श्री महेश वैष्णव, श्री कैलाश सैनी, श्री योगेन्द्र लोढा, श्री विरेन्द्र वैष्णव, श्री जगदीश चौधरी, श्री जगदीश वैष्णव, श्री कमल तिवाडी, श्री पुखराज, श्री राणाराम, श्री दमाराम, श्री तख्तसिंह, श्री विजयसिंह मेडतिया, श्री अशोक सिंह, राजखान अब्बासी, श्री दीपक प्रजापत, श्री राकेश कुमार एवं श्री पुखराज रामावत द्वारा न्यास कार्यालय म प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खसरा संख्या 824/751 पर प्रार्थीयों के पट्टासुद व रहवासीय एवं अन्य कब्जासुदा भूखण्ड थे जिस पर न्यायालयों में वाद भी लम्बित थे। उपरोक्त खसरों में लगभग 8 से 10 अन्य व्यक्ति काबित थे। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त खसरे के काबिज भूखण्डों के एवज में अन्य भूखण्ड या न्यास के निर्मित क्वार्टर का आवंटन करने का अनुरोध किया। उपरोक्त खसरों में से न्यास के अतिक्रमण शाखा द्वारा अतिक्रमण निरीक्षक द्वारा की रिपोर्ट अनुसार कुल 12 व्यक्तियों का कब्जा

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

होना बताया है जिसमें ट्रेक्टर रिपेयर एसोसियेशन तथा खसरा संख्या 823/751 एवं 835/751 के स्वीकृत प्लान में सडक व पार्क नाले की भूमि पर अतिक्रमण का रखा है जिसमें से दो व्यक्तियों के कब्जे निरीक्षक द्वारा हटाये गये है। प्रकरण आवंटन समिति की बैठक दिनांक 3 जुलाई, 2008 के प्रस्ताव संख्या 8 में निर्णय लिया गया कि प्रार्थीयों को हटाये गये पट्टासुद कब्जों के बदले मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर सांगरिया में निर्मित क्वार्टर आवंटन करने का निर्णय लिया है। प्रार्थीयों द्वारा मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर में मौके पर रिक्त क्वार्टरों की सूची के अनुसार क्वार्ट संख्या 391, 392, 401 से 410, 421, 422, 424 से 426 प्रार्थी द्वारा रिक्त दर्शाये हैं। अतः उपरोक्त रिक्त कवार्टर आवंटन समिति के निर्णय की पालना में आवंटन करने की स्वीकृति प्रदान करने तथा रिक्त क्वार्टर की हुडको शाखा से सत्यापन किये जाने बाबत आदेश जारी हुआ।

उपायुक्त दक्षिण की रिपोर्ट के अनुसार नगर विकास न्यास की आवंटन समिति की बैठक दिनांक 3 जुलाई, 2008 के प्रस्ताव संख्या 8 में अतिकमण हटाये गये व्यक्तियों को मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना में क्वार्टर आवंटन हेतु अध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया। अध्यक्ष महोदय द्वारा पत्रावली के नोट शीट के पैरा संख्या 21/एन में आवंटन कार्यवाही करने का अनुमोदन किया एवं तत्कालीन सचिव द्वारा दिनांक 1 अक्टूबर, 2008 को क्वार्टर आवंटन का आदेश जारी किया गया। वर्तमान में कार्यालय में मूल पत्रावली की छाया प्रति ही उपलब्ध है। आवेदक द्वारा आवंटन आदेश के अनुरूप लीज डीड जारी करने की मांग की है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से बैठक में प्रकरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि ट्रस्ट की आवंटन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार जारी किये गये आवंटन-पत्र के संबंध लीज डीड जारी की जावे। लीज डीड जारी किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सबंधित आवटी जिसका पूर्व में खसरा संख्या 824/751 पर कब्जा था, के पक्ष में पट्टा एवं अन्य दस्तावेज के अनुसार स्वामित्व प्रमाणित होता है। ऐसे प्रकरणों मे जिनमें उक्त आवंटियों का स्वामित्व दस्तावेजों से प्रमाणित नहीं होता है किन्तु उनका कब्जा उक्त भूमि पर था। ऐसे प्रकरणों में मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर के संबंध में राज्य सरकार के पत्र कमांक प 3 (176) नविवि/3/84 दिनाक 13 अक्टूबर, 2011 में प्रदत्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए राशि वसूल की जावे।

प्रस्ताव संख्या 13 :: स्ट्रीप ऑफ लैण्ड का लीज डीड (पट्टा) जारी करने के संबंध में।

तत्कालीन नगर विकास न्यास, जोधपुर के समय काफी प्रकरणों में भू-पट्टी आवंटन करने का निर्णय लिया तथा उन प्रकरणों में भू-पट्टी की कीमतन राशि भी जमा हो गयी तत्पश्चात् उक्त पत्रावलियां नगर निगम को हस्तान्तरित कर दी गयी।

आवेदक द्वारा आवटित स्ट्रीप ऑफ लैण्ड का लीज डीड (पट्टा विलेख) जारी करने की माग पर उक्त पत्रावलियां प्राधिकरण को नगर निगम, जोधपुर द्वारा प्रेषित कर लीज डीड (पट्टा विलेख) जारी करने हेतु लिखा जाता है। चूंकि उक्त क्षेत्र नगर निगम को हस्तान्तरित हो चुका है अतः उक्त लीज डीड (पट्टा विलेख) नगर निगम द्वारा ही जारी किया जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है। अतः इस संबंध में नीतिगत निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण के संबंध में निर्णय लिया गया कि जिन प्रकरणों में तत्कालीन नगर सुधार न्यास/प्राधिकरण द्वारा भू-पट्टी आवंटन की गयी है एवं राशि भी जमा हो गयी थी उन प्रकरणों में पट्टा विलेख प्राधिकरण द्वारा

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

जारी किये जावेंगे। इस हेतु संबंधित उपायुक्त पट्टा विलेख जारी करेंगे। आवंटन किये गये हैं, उन प्रकरणों में पट्टा विलेख प्राधिकरण द्वारा ही जारी किये जावेंगे।

प्रस्ताव संख्या 14 :: श्री नाथूसिंह भाटी को सुन्दरसिंह भण्डारी योजना में भूखण्ड आवंटन के संबंध में।

प्रार्थी श्री नाथूसिंह भाटी द्वारा सुन्दरसिंह भण्डारी नगर योजना में राज्य कर्मचारी वर्ग में आय वर्ग रूपये 12001/- से 20000/- तक में भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन पत्र सं. 1591 से करने पर प्रार्थी को लॉटरी द्वारा उक्त योजना में भुखण्ड संख्या 10 माप 39X89 का आवंटन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आय प्रमाण पत्र के आधार पर तत्समय प्रार्थी की सकल मासिक आय रू 22345/- थी। प्रार्थी की आय आयवर्ग (12001/- से 20000/- तक) से अधिक होने के कारण प्रार्थी सम्बधित आय वर्ग में पात्रता नहीं रखने के कारण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13/4/10 में लिए गये निर्णय की पालना में भूखण्ड संख्या 10 का आवंटन निरस्त कर दिया गया है।

प्रार्थी ने निरस्तीकरण आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय ने प्राधिकरण व राज्य सरकार के विरूद्ध एस.बी. सिविल रिट याचिका दायर कर दी। माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 18/10/11 को अपने निर्णय की पद सख्या 8 में प्राधिकरण को याचिका कर्ता नाथूसिह के मामले में पुनर्विचार करने हेतु आदेशित किया है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में प्रकरण मे निर्देशानुसार प्राधिकरण की बैठक में पुन.विचार विमर्श करने एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में निर्णयार्थ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 15 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि के भू-उपयोग परिवर्तन व योजना के संबंध में।

ग्राम चौपासनी के खसरा संख्या 15 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि पर हाल ही में प्राधिकरण द्वारा अतिकमण हटाया जाकर इसे अतिकमण से मुक्त करायी हैं। उक्त भूमि चौपासनी स्कूल से आगे मुख्य जयपुर - जैसलमेर बाईपास पर अवस्थित है। उक्त भूमि पर योजना बनायी जानी है तथा तद्नुसार इसका भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने के संबंध मे निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया। किन्तु भू-उपयोग परिवर्तन आदेश जारी किये जाने से पूर्व प्रस्तावित भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने हेतु विज्ञप्ति का प्रकाशन आदि की औपचारिकताएं/कार्यवाही सचिव स्तर पर पूरी की जावे।

प्रस्ताव संख्या 16 :: श्री सूरजभान मीणा को भूखण्ड आवंटन

श्री सूरजभान मीणा पुत्र श्री अमरसिंह मीण दतोपन्त ठेगड़ी नगर योजना में आवेदन किया, जिस पर कम्प्युटर की त्रृटि से एस.टी. वर्ग से सामान्य वर्ग की सूची में अंकित होने से आवटन नहीं हुआ। इनको प्राधिकरण की बैठक दिनांक 23.04.2010 में लिये गये निर्णय अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग में शेष रहे भूखण्डों की कार्यवाही की गई,

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

किन्तु उक्त योजना दतोपन्त ठेगड़ी में भूखण्ड रिक्त न होने के कारण अन्य योजना अन्तर्गत सन्तुल्य भूखण्ड देने का निर्णय लिया गया। इस हेतु दिनांक 06.07.2010 को सार्वजनिक विज्ञप्ति प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 7970 दिनांक 06.07.2010 द्वारा आपति/उजर एतराज होने पर 7 दिवस में प्रस्तुत करने हेतु जारी की गई, जिस पर कोई आपति/उजर एतराज प्राप्त नहीं हुआ है।

चूंकि दतोपन्त ठेगडी नगर में कोई भूखण्ड रिक्त नहीं है। ऐसा ही प्रकरण में श्री राजेश कुमार मीणा को राजीव गांधी नगर योजना के अन्तर्गत 252 वर्गमीटर का प्लॉट सं. 56-ए आवंटित किया गया तथा उप नगर नियोजक की रिपोर्ट दिनांक 27.07.2010 के द्वारा भूखण्ड स. 56-ए व 58-ए रिक्त होना दर्शाया गया। अतः संबंधित को राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत भूखण्ड सं. 58-ए आवंटित करने हेतु आदेशार्थ है। अतः प्रकरण कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 : श्री सौरभ परासर पुत्र श्री रविन्द्र परासर को राजीव गांधी आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या जे-47 आवंटन बाबत।

श्री सौरभ परासर पुत्र श्री रविन्द्र परासर को राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में लॉटरी द्वारा जे-47 (6 X 15) = 90 वर्गमीटर आवंटित हुआ। आवेदक द्वारा स्वयं की आय का प्रमाण-पत्र 10000/- प्रतिमाह का तथा अपनी बहन का आय प्रमाण-पत्र 6700/- रूपये आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया है। आवेदक स्वंय की आय 10000/- प्रतिमाह है जो 10001/- से 15000/- रूपये तक की आय वर्ग की श्रैणी में आवेदन किया। 10000/- रूपये तक आय का आवेदन 45 वर्गमीटर क्षेत्र में मान्य है। प्राधिकरण की बैठक दिनाक 21.10.2010 के प्रस्ताव सं. 10(2) निर्णय लिया गया है कि नियत आय वर्ग से 1 से 100 रूपये तक आय कम या अधिक होने पर आवंटन की अग्रिम कार्यवाही की जाकर राशि जमा करवाई जावें। अतः उक्त प्रकरण कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 18 : श्री मनीष जैन पुत्र श्री कैलाश जैन को राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एफ-27 आवंटन के संबंध में।

श्री मनीष जैन पुत्र श्री कैलाश जैन को राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में लॉटरी द्वारा एफ-27 (12.5 X 22) = 275 वर्गमीटर आवंटित हुआ। आवेदक द्वारा स्वयं की आय का प्रमाण-पत्र 25000/- रूपये प्रतिमाह का आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया है। आवेदक द्वारा 30001/- से 45000/- रूपये तक की आय वर्ग की श्रैणी में आवेदन किया तथा उसी आय वर्ग के अनुसार ही उनको लॉटरी में भूखण्ड आवंटन हुआ। तत्पश्चात् आवेदक द्वारा प्रार्थना-पत्र दिनांक 11.11.2011 को आयकर विवरण-पत्र जिसमें वार्षिक आय 458026/- का प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार आवेदक की मासिक आय 3[illegible]671/- रूपये होनी दर्शाई है तथा आवेदक द्वारा आवंटित भूखण्ड की मांग की है तथा इन्हे आवटन पत्र जारी नहीं किया गया। अतः उक्त प्रकरण कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 19 :: श्री शिवाजी राय पुत्र श्री देवीशरण को राजीव गांधी आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या एफ–50 आवंटन के संबंध में।

श्री शिवाजी राय पुत्र श्री देवीशरण को राजीव गांधी नगर आवासीय योजना में
लॉटरी द्वारा एफ–50 (12 X 21) = 252 वर्गमीटर का एवं उनकी पत्नी श्रीमती अर्चना
राय को आई–519 (6 X 15) = 90 वर्गमीटर का आवेदन अनुसार आवंटित किया गया।
श्री शिवाजी राय ने अपने आवेदन–पत्र के साथ स्वयं व परिवार की आय 34990/–
प्रतिमाह दर्शाई गई है तथा पत्नी द्वारा आवेदन–पत्र के साथ 11000/– प्रतिमाह के
हिसाब से आवेदन प्रस्तुत किया एवं अपनी पत्नी का आवंटित भूखण्ड आई–519 निरस्त
करने हेतु निवेदन किया गया। आय प्रमाण–पत्र के अनुसार दोनो की आय समेल्लित की
जाये तो 45990/– रूपये मासिक होती है, जो आय वर्ग से अधिक की श्रेणी म है। इस
कारण इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 125–30 दिनांक 14.07.2011 के द्वारा श्री शिवाजी
राय एवं उनकी पत्नी श्रीमती अर्चना राय को आवंटित भूखण्ड सं. एफ–50 एवं आई–519
निरस्त कर इनके द्वारा गलत सूचना देने पर विवरणिका के विन्दु स. 12(8) के अनुसार
जमा करवाई गई धरोहर राशि 20000/– एवं 10000/– जब्त किये जाने के आदेश
प्रसारित किये जा चुके है। आवेदक द्वारा पुनः आवेदन–पत्र 22.01.2012 के द्वारा पुनः
निवेदन किया कि मेरी व मेरी पत्नी तथा अन्य आश्रित परिवार की सकल आय
34990/– प्रतिमाह मेरी पत्नी द्वारा त्रुटिवंश 11000/– मासिक आय दर्शाते हुए सामान्य
वर्ग म आवेदन कर दिया गया था, जो कि गलत है एवं मुझे इसका खेद है तथा भूखण्ड
सं. एफ–50 को आवंटित करने हेतु निवेदन किया गया है। अतः उक्त प्रकरण
कार्यकारिणी समिति की वैठक म निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण प्राधिकरण की वैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 20 :: श्री मोहनलाल पुत्र श्री ताराचन्द पालीवाल को दत्तोपत ठेगडी नगर आवासीय योजना में भूखण्ड संख्या 401 आवंटन के संबंध में।

श्री मोहनलाल पुत्र श्री ताराचन्द पालीवाल को दत्तोपत्त ठेगडी नगर आवासीय
योजना में लॉटरी द्वारा प्लॉट सं. 401 (30 X 64) का आवंटित किया गया। प्राधिकरण की
कार्यकारिणी समिति की वैठक दिनांक 18.08.2011 के प्रस्ताव सं. 7 में निर्णय लिया गया
है कि मूल पत्रावली आवटन शाखा में उपलब्ध नहीं हो पा रही है तथा उक्त प्रकरण
समिति को विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया। विचार–विमर्श कर सर्व समिति से
निर्णय लिया गया कि पत्रावली के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज
करवाने एवं सार्वजनिक नोटिस समाचार–पत्रो में प्रकाशित करवाने की कार्यवाही की जावें
तथा उसके पश्चात् डुप्लीकेट पत्रावली संधारित की जावें।

अतः समिति के निर्णय के अनुसार कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। डुप्लीकेट पत्रावली संधारित करने हेतु उक्त प्रकरण कार्यकारिणी समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से डुप्लीकेट पत्रावली संधारित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि संबंधित उत्तरदारी कर्मचारी के विरूद्ध जांच करने हेतु उपायुक्त, निदेशक–वित्त एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना की समिति का गठन किया जाकर जांच की जावे। प्रार्थी से इस आशय का अण्डर टेकिंग भी लिया जावे कि उसको आवंटन–पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और उक्त भूखण्ड का किसी अन्य को उसके द्वारा विक्रय नहीं किया गया है।

प्रस्ताव संख्या 21 : **ग्राम बासनी बाघेला, खसरा नं. 66/1, 66/1मी., 66/2, 69/1, 86, 73/6, 73/2, 100, 92, 85, 73/5/1, 73/5, 73/1/1 सुशांत लोक (अंसल) के सम्बन्ध में।**

सुशांत लौक के अस्सिटैंट जनरल मैनेजर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके ग्राम बासनी बाघेला खसरा सं 66/1, 66/1मी., 66/2, 69/1, 86, 73/6, 73/2, 100, 92, 85, 73/5/1, 73/5, 73/1/1 सुशात लोक (अंसल) के के पटटे जारी करने का लिखा है। उक्त प्रकरण में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा 90 बी के तहत निर्णय दिनांक 18.10.0 को लिया जा चुका है जिसकी पालना मे तहसीलदार द्वारा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम नामान्तरण लिया जा चुका है। वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा उक्त योजना सुशात लोक का ले आउट प्लान भी दिनांक 12.7.2007 को स्वीकृत किया जा चुका है। राज्य सरकार के पत्र कमांक प.3 (19) नविवि/111/09/पार्ट दिनांक 23.5.2011 एवं दिनांक 16.5.2009 के अनुसार माथूर उक्त पत्रावली माथूर आयोग में भेजी जा चुकी है। पत्रावलियों में फोटो प्रति अनुसार कार्यवाही करने के निर्देश है। अतः डुप्लीकेट पत्रावली खोलने वास्ते निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार का आदेश है कि जो भी पत्रावलियां एन.एन. माथुर आयोग को प्रेषित की हुइ है उनकी फोटो प्रति के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जावे। किन्तु सबधित उपायुक्त अग्रिम कार्यवाही किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रकरण मे पटटे आदि जारी करने के लिए सभी कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण है और तथ्यों के अनुसार पूर्व में जारी किये गये आदेश नियमानुकूल है।

प्रस्ताव संख्या 22 : **ग्राम पाल खसरा सं. 115 मी., 115/2 मी.,114/2, 114/5, 120, 122/1, 124,126, 125, 125/1, 125/2, 125/4, 125/3, 125/5, 127/3 126/1, 127/2 के सम्बन्ध में।**

सहारा इण्डिया के अधिकृत प्रतिनिधि ने ग्राम पाल के खसरा सं. 115 मी., 115/2 मी.,114/2, 114/5, 120, 122/1, 124,126, 125, 125/1, 125/2, 125/4, 125/3, 125/5, 127/3 126/1, 127/2 के पटटे जारी करने का आवेदन किया है। उक्त भूमि का योजना मानचित्र पूर्व वरिष्ठ नगर नियोजक जोधपुर जोन जोधपुर के पत्र कमांक जे.डी.ए. 1628 जे.पी.आर. दिनाक 20.1.2007 को अनुमोदन किया गया। दिनांक 17.3.2007 को राजस्व रेकॉर्ड में भूमि प्राधिकरण के नाम दर्ज की गई है। ले आउट प्लान पर अमीन जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा आवेदित भूमि की सीमा का प्रमाणीकरण किया गया। आवेदित भूमि के स्वामित्व के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है तथा आवेदक का स्वामित्व वैध है। विधिक दृष्टि से भी कोई आपत्ति नहीं है तथा भूमि अवाप्ति मे भी नही है। भू राजस्व अधिनियम की बैठक दिनाक 20.10.2011 के प्रस्ताव संख्या 2 के अनुसार निर्णय समिति द्वारा संशोधित ले आउट प्लान का अवलोकन कर निर्देशक (आयोजन) द्वारा लिये गये तकनीकी परीक्षण के मद्देनजर ले आउट प्लान

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया। भू राजस्व अधिनियम की धारा 90 बी के निर्णय दिनांक 1 मार्च 2007 के अनुसार अनुसूचित जाति वर्ग की भूमि को अनुमोदित ले आउट प्लान में पृथक रंग से दर्शाया जाना होगा एवं उक्त भूखण्डों की लीजडीड अनुसूचित जाति वर्ग के प्रार्थीगणों को ही देय होगी। उक्त कार्यवाही पूर्ण कर एवं प्रमाणीकरण के पश्चात ले आउट प्लान जारी किया जावे।

उक्त प्रकरण की मूल पत्रावली जस्टिस श्री एन.एन. माथुर आयोग को भेजी गई थी मूल पत्रावली पुन प्राप्त करने हेतु प्राधिकरण द्वारा पत्र दिनांक 16.11.2011 लिखा गया था नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के प्रतिउत्तर पत्र दिनांक 28.12.2011 के अनुसार उक्त पत्रावली लौटाई जाना सम्भव नहीं है। इस कारण इस विभाग के आदेश दिनांक 16.3.09 एवं 23.5.2011 को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण का निस्तारण करने की कार्यवाही के निर्देश प्राप्त हुए है। प्रकरण में भूखण्डों की लीजडीड जारी करने व अग्रिम कार्यवाही करने हेतु कार्यकारी समिति में वास्ते निर्णय हेतु प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार का आदेश है कि जो भी पत्रावलिया एन.एन. माथुर आयोग को प्रेषित की हुइ है उनकी फोटो प्रति के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जावे। किन्तु संबंधित उपायुक्त अग्रिम कार्यवाही किये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रकरण में पट्टे आदि जारी करने के लिए सभी कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण है और तथ्यों के अनुसार पूर्व म जारी किये गये आदेश नियमानुकूल है।

प्रस्ताव संख्या 23 :: श्री कुशाल सिंह माटी को आवासगृह संख्या 338 पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर बासनी तम्बोलिया के आवंटन के संबंध में।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा दिनांक 28.08.2009 को पण्डित दीनदयाल उपाध्याय नगर बासनी तम्बोलिया में निर्मित आवास गृहों की लॉटरी निकाली गई थी। सफल आवेदकों के आवंटन–पत्र जारी किये गये थे। परन्तु सफल आवेदक श्री कुशाल सिंह भाटी को आवास न. 338 आवंटन हुआ एवं आवंटन पत्र जारी हुआ, और प्रार्थी न निश्चित समयावधि में आवास गृह की राशि जमा नहीं कराई। जिसका विवरण निम्नानुसार है।

1. आवटन की तिथि :– 28.08.2009।
2. आवंटन पत्र जारी तिथि :– 29.09.2009।
3. आवंटन की राशि :– 65100/–
4. 15 प्रतिशत ब्याज जमा होने तक :– 27/– रूपये प्रतिदिन।
5. 10 प्रतिशत शास्ति ब्याज :– 6510/–
6. राशि जमा होने में देरी :– 824 दिन (31.12.2011 तक)।
7. स्वतः निरस्तीकरण की तिथि :– 27.12.2009।

अतः भूखण्ड की बकाया राशि आवंटन पत्र जारी होने की तिथि 29.09.2009 से 90 दिवसों म दिनाक 27.12.2009 तक जमा नही होने से प्रकरण भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 17 (5) के अनुसार स्वतः निरस्तीकरण में आता है। स्वतः निरस्तीकरण की तिथि 27.12.2009 से आगामी दो वर्षो में आवास गृह की बकाया राशि जमा कराने से पूर्व प्रकरण कार्यकारी समिति से अनुमोदन करवाया जा कर राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने हेतु भिजवाना आवश्यक है। राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर ही आवास की बकाया राशि जमा करवाई जा सकती है। अतः प्रकरण कार्यकारी समिति म अवलोकनार्थ एवं निणयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 24 :: अर्फोडेबल हाऊसिंग पॉलिसी 2009 मॉडल 4 में ई.डब्लू. एस एवं एल.आई.जी. के संबंध में।

नगर विकास न्यास, (जो.वि.प्रा.) जोधपुर, द्वारा दिनांक 14.07.2011 को अर्फोडेबल हाऊसिंग पॉलिसी 2009 मॉडल 4 में ई.डब्लू.एस एवं एल.आई.जी. श्रेणी की लॉटरी निकाली गई थी। सफल आवेदकों के आवंटन–पत्र जारी किये एवं कुछ सफल आवेदकों के आवंटन पत्र रोके गये। वह कारण सहित निम्नानुसार हैं :–

<u>ई.डब्लू.एस</u>

क्र.सं.	नाम आवेदक	प्लेट संख्या	आवेदक की श्रेणी	जिस श्रेणी में खुला हैं।	विवरण
1	श्रीमति गंवरी पत्नि श्री बुधाराम	E 4-204	सामान्य	सामान्य	पति के भी खुला हैं।
2	श्री बुधाराम पुत्र श्री मालाराम	E 52-104	सामान्य	सामान्य	पत्नि के भी खुला हैं।
3	श्री हरीश कुमार पुत्र श्री नारायणदास	E 18&1	सामान्य	सामान्य	फॉर्म न. 2880 हैं, लॉटरी लिस्ट में 280 अकिंतहैं।
4	श्री पर्वतलाल पुत्र श्री हेमाराम	E 7-103	एस.टी.	एस.टी.	आवेदक एस.सी. का हैं।
5	श्री प्रवीण चौधरी पुत्र श्री हरिराम	E 33-203	एस.टी.	सामान्य	आवेदक ओ.बी.सी का हैं।
6	श्री अब्दुल समद पुत्र श्री अब्दुल गनी	E 26-103	विकंलाग	सामान्य	सामान्य में खुला हैं।
7	श्रीमति चम्पा देवी पत्नि श्री रमेश कुमार	E 49-104	एस.सी.	सामान्य	सामान्य में खुला हैं।
8	श्रीमति चन्द्रकान्ता आसुदानी पत्नि श्री मूलचन्द	E 37-101	सामान्य	सामान्य	फॉर्म न. 6357 हैं, लॉटरी लिस्ट में 5357 अकिंत हैं।
9	श्री जितेन्द्र सिंह पंवार पुत्र श्री इन्द्र सिंह पंवार	E 30-301	एस.सी.	सामान्य	जाति प्रमाण पत्र ओ. बी.सी. का हैं।
10	श्री डुंगर राम पुत्र श्री बनाराम	E 22-304	सैनिक	सामान्य	प्रार्थी सैनिक श्रेणी का हैं, परन्तु सामान्य में खुला हैं।
11	शिखा शर्मा पुत्री श्री दिनेश शर्मा	E 21-304	सामान्य	सामान्य	शपथ पत्र किसी अन्य प्रार्थी के नाम का हैं।
12	श्री लक्ष्मण दास	E 26-	सामान्य	सामान्य	पति व पत्नि दोनों के

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

	सतवानी पुत्र श्री चेलाराम	302			खुला हैं।
13	श्रीमति उषा सतवानी पत्नि श्री लक्ष्मण दास	E 21-02	सामान्य	सामान्य	पत्नि व पति दोनों के खुला हैं।
14	श्री कृष्ण गोपाल पुत्र श्री मदनलाल	E 32-201	सामान्य	सामान्य	पति व पत्नि दोनों के खुला हैं।
15	श्रीमति जया पत्नि श्री कृष्ण गोपाल	E 34-101	सामान्य	सामान्य	पत्नि व पति दोनों के खुला हैं।
	कुल				15

एल.आई.जी

1	श्री भगवान दास पुत्र श्री नारायण दास	L 6&103	विकलांग	स्वतन्त्रता सेनानी	विकलांग में आवेदन किया हैं लेकिन स्वतन्त्रता सेनानी में खुला हैं।
2	श्री स्वरूपराम पुत्र श्री पेमाराम	L 23&303	सामान्य	सामान्य	फॉर्म न. 6708 हैं, लॉटरी लिस्ट में 708 अकिंत हैं।
3	श्री धनश्याम पुत्र श्री प्रभात	L 25&101	एस.सी.	सामान्य	सामान्य में खुला हैं।
4	श्रीमति सुमन पत्नि श्री राजेश	L 20&3	एस.सी.	सामान्य	सामान्य में खुला हैं।
5	श्रीमति खुमान कंवर पत्नि स्व श्री भंवर सिंह	L 11&201	सामान्य	सैनिक	सैनिक में खुला हैं।
6	श्री बुधाराम पुत्र श्री कानाराम	L 28&101	सैनिक	सैनिक	एक ही व्यक्ति के दो खुल गये।
7	श्री बुधाराम पुत्र श्री कानाराम	L 28&203	सैनिक	सैनिक	एक ही व्यक्ति के दो खुल गये।
8	श्री सवाई सिह पुत्र श्री महासिह	L 17&202	सैनिक/सामान्य	सैनिक	दो श्रेणी में आवेदन किया हैं।
9	कुमारी दीपिका पुत्री श्री धर्मदास	L 29&102	एस.सी.	एस.टी.	एस.टी. में खुल गया हैं।
10	श्री अशोक डाबी पुत्र श्री अमरचन्द डाबी	L 26&103	एस.सी.	एस.टी.	एस.टी. में खुल गया हैं।
11	श्री श्रवण कुमार पुत्र श्री पुसाराम	L 24&4	एस.सी.	एस.सी.	फॉर्म न. 3247 हैं, लॉटरी लिस्ट में 3244 अकिंत हैं।
12	श्री रामस्वरूप पुत्र श्री जेठमल	L 6&102	सामान्य	स्वतन्त्रता सेनानी	सामान्य में आवेदन किया हैं लेकिन स्वतन्त्रता सेनानी में खुला हैं।
	कुल				12

उपरोक्तानुसार प्रकरण कार्यकारी समिति में निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत हुआ।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से पूर्व में राजीव गांधी आवासीय योजना के सामानान्तर प्रकरणों में हेतु पूर्व में जरिये कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. 46/आवंटन/2010/2972 दिनांक 11 फरवरी, 2010 गठित समिति की तर्ज पर उक्त समिति द्वारा उपरोक्त प्रकरणों का निस्तारण किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 25 :: 15 अगस्त, 2011 स्वतंत्रता दिवस पर जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए गए टाटा 407 के भुगतान बाबत।

15 अगस्त, 2011 स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजन किये जाने के संबंध में जिला कलक्टर, जोधपुर के निर्देशानुसार एक टाटा 407 तहसीलदार, जोधपुर को व 1 टाटा 407 ट्रक उम्मेद उद्यान में अतिथियों व दर्शकों के बैठने की व्यवस्था के लिए उपलब्ध कराया गया। राष्ट्रीय पर्व को ध्यान में रखते व समय के अभाव में बिना निविदा आमंत्रित करवाए श्री श्रवण कुमार शर्मा वर्तमान वाहन संवेदक को टाटा 407 दिनांक 12 अगस्त, 2011 से 15 अगस्त, 2011 तक 4 दिवस के लिए 1400/– रूपये प्रति दिन के हिसाब से 2 ट्रक उपलब्ध करवाए जिसका किराया 11200/– भुगतान करना है। इससे पूर्व 26 जनवरी, 2011 में भी भूतपूर्व संवेदक को सीमित निविदा आमंत्रित कर इसी दर से भुगतान किराया गया था। इसकी सक्षम स्वीकृति हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है। स्वीकृति प्राप्त होने पर ही भुगतान किया जाना प्रस्तावित हैं।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 26 :: भूखण्ड संख्या 388 सुन्दरसिंह भण्डारी नगर श्री शाहनवाज को आवंटन बाबत।

प्रार्थी श्री शाहनवाज ने सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना में सामान्य वर्ग मे 30 फीट गुणा 60 फीट मे भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन किया था। प्रार्थी को लॉटरी द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2009 को भूखण्ड संख्या 388 आकार 30 फीट गुणा 60 फीट का आवंटन किया गया। प्राधिकरण द्वारा पत्रांक 1528 दिनांक 18 अगस्त, 2009 के जरिये भूखण्ड की शेष राशि व मूल निवास प्रमाण–पत्र जमा कराने हेतु सूचित किया गया था। किन्तु प्रार्थी निजी कारण वश भूखण्ड की राशि जमा नहीं करवा सका। कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 के प्रस्ताव संख्या 10 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में प्रार्थी ने भूखण्ड संख्या 388 की शेष देय राशि मय ब्याज/शास्ती जमा कराने हेतु प्रार्थना–पत्र मूल निवास प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी को डिमाण्ड नोटिस जारी किए हुए दो वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। राजस्थान इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) रूल्स 1974 के नियम 17 (5) के तहत भूखण्ड की बकाया राशि का डिमाण्ड नोटिस जारी होने की तिथि 18 अगस्त, 2009 से 90 दिवस दिनांक 15 नवम्बर, 2009 (भूखण्ड स्वतः निरस्तीकरण दिनांक) से आगामी दो वर्ष से अधिक समय होने पर राज्य सरकार को भूखण्ड नियमन करने की शक्तियां प्रदान की है। अतः प्रकरण राज्य सरकार को नियमन हेतु भिजवाये जाने के संबंध में कार्यकारी समिति की अनुशंषा हेतु समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ।

प्रकरण में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्यकारी समिति की अनुशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

प्रस्ताव संख्या 27 :: भूखण्ड संख्या 32–बी, 35–ए व 36–ए पश्चिम पाल विस्तार योजना खसरा संख्या 129 ग्राम सूथला की बोली स्वीकृति के संबंध में।

भूखण्ड संख्या 32–बी, 35–ए व 36–ए, पश्चिम पाल विस्तार योजना खसरा संख्या 129 ग्राम सूथला दिनांक 21 जनवरी, 2011 को नीलाम किये गये थे। लेकिन कतिपय कारणों (भूखण्डों के क्षेत्रफल में परिवर्तन होने के कारण) से संबंधित क्रेता को शेष 3/4 राशि जमा कराने हेतु नोटिस जारी नहीं किया जा सका। अतः प्रकरण इस संबंध मे निर्णय लेने हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि नीलाम किये गये उपरोक्त तीनों भूखण्ड के आकार अलग अलग आने के कारण अब तक बकाया भूखण्ड की कीमत की 3/4 राशि जमा का नोटिस जारी नहीं किया गया। अतः संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जावे तथा उपरोक्त भूखण्डों के केताओं से इस आशय का अण्डर टेकिंग ली जावे कि वे उक्त भूखण्डों की बकाया 3/4 राशि जो नीलामी के लगभग 1 वर्ष बाद इन प्रकरणों का निस्तारण होने से जमा हो रही है। इस संबध मे यदि भविष्य में राज्य सरकार अथवा ऑडिट द्वारा शास्ती एवं ब्याज की मांग की जाती है तो वे जमा करवाने को सहमत है।

प्रस्ताव संख्या 28 :: **Proposal for amendment in powers to sign cheque**

Proposal for amendment in powers to sign cheques is submitted for approval as under:

(v) upto 2 lacs - Sr. AO
(vi) Above 2 lacs and upto 10 lacs - Sr.A.O. & AAO
(vii) Above 10 lacs and upto 50 lacs - Dir. Finance and Sr.AO
(viii) Above 50 lacs - Dir. Finance/Secretary & Sr.AO

In absence of any of the above mention officers cheque may be signed jointly by any two officers amongst Dir. Finance, Secretary and Sr.AO.

Above is approved by Chairman, Executive Committee i.e. JDC on dated 9th Jan.. 2012. Submitted for comfirmation.

बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 29 :: अधिकारियों/कर्मचारियों को दीपावली 2011 के अवसर पर उपहार व मिठाई क्रय करने हेतु कुल राशि रूपये 4000/– का भुगतान करने के संबंध में।

अति. आयुक्त–प्रशासन, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा जरिये कार्यालय आदेश क्रमांक प. 4 (10) जविप्रा/संस्था/83/ दिनांक 25 अक्टूबर, 2011 द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को दीपावली, 2011 के अवसर पर रूपये 3500/– उपहार क्रय करने हेतु नकद एवं प्रति अधिकारी/कर्मचारी एक किलो मिठाई (रूपये 500) दिऐ जाने की स्वीकृति प्रदान की है।

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

इसी तर्ज पर प्राधिकरण, जोधपुर के कर्मचारियों/अधिकारियों ने राशि रूपये 4000/- भुगतान की मांग की है।

अतः इस संबंध में निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ। बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर में पदस्थापित नियमित अधिकारी/कर्मचारियों प्रत्येक को 4,000/- अखरे रूपये चार हजार मात्र भुगतान करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 : महामंदिर स्थित मानसागर में विभिन्न विकास कार्यों की संशोधित वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति तथा अधिक व अतिरिक्त कार्य व समयावधि बढाने की स्वीकृति के संबंध में।

महामंदिर स्थित मानसागर में विभिन्न कार्य (रिस्क एण्ड कोस्ट पर) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीृति 143.00 लाख थी। अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदत्त निर्देशों के कम में मौके पर 148.00 लाख रूपये का अधिक कार्य तथा 20.00 लाख रूपये का अतिरिक्त कार्य होने के कारण संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 143.00 + 168.00 कुल राशि रूपये 311.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति रूपये 311.00 लाख, अधिक कार्य राशि रूपये 148.00 लाख, अतिरिक्त कार्य राशि रूपये 20.00 लाख तथा कार्य की समयावधि 9 माह बढाये जाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुआ।

बैठक मे बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

कमांक/बैठक/2012/1802-III/1847-886 दिनांक : 6 मार्च ~~फरवरी~~, 2012

प्रतिलिपि:-

01. प्रमुख शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
03. जिला पुलिस अधीक्षक महोदय, जोधपुर
04. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
05. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
06. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
07. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
08. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड
09. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
10. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

1847-886
6/3/2012

11. निदेशक, अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. निदेशक, नगर नियोजन, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. निदेशक, वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. निदेशक, विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. निजी सचिव (आयुक्त/अध्यक्ष महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. मैसर्स ओसवाल डाटा प्रोसेस, कार्यालय परिसर, जोधपुर – वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
17. ....

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

1847-886
6/3/2012.

परिशिष्ट–1

दिनांक 7 फरवरी, 2012 को प्रातः 11.30 श्री रतन लाहोटी, आयुक्त महोदय एवं अध्यक्ष महोदय, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण।

1. श्री के.सी. गोदानी, मुख्य अभियन्ता, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
2. श्री टी.सी. छाजेड, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर
3. श्री प्रेमसुख शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, नगर, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिक विभाग, जोधपुर
4. श्री जीवण खां, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (यातायात) जोधपुर
5. श्री ओ.पी. बेरवा, मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान, राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
6. श्री जी.एस. चारण, जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर
7. श्री अमिताभ योगानन्दी, निदेशक–वित्त, जोधपुर
8. श्री राम लाल, निदेशक–अभियांत्रिक (अधीक्षण अभियन्ता), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
9. श्री नन्दलाल शर्मा, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
10. श्री नरेन्द्र कुमार बंसल, उपायुक्त–दक्षिण, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
11. डॉ. शशि शर्मा, उपायुक्त–उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
12. श्री पी.आर. बेनीवाल, उप नगर नियोजक, नगर निगम, जोधपुर
13. श्री राकेश शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता–उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. श्री रमेश माथुर, अधिशाषी अभियन्ता–विद्युत, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. श्री हरजी लाल अटल, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor